Letter No. : NGT-48 /81-7-2021-44(Writ)/2016 T.C-2

From;

Ashish Tiwari,
Special Secretary,
Department of Environment, Forest &
Climate Change, Govt. of Uttar Pradesh.

To,

The Registrar,
Hon'ble National Green Tribunal,
Copernicus Marg, New Delhi.

Environment, Forest & Climate Change Section-7 **Lucknow : Dated : 29/01/2021**

Sub : Compliance Report of Chief Secretary, Government of Uttar Pradesh in pursuant to the order dated 16-07-2020 in the matter of O.A. No. 985/2019 with O.A. No. 986/2019 In Re : Water Pollution by Tanneries at Jajmau, Kanpur, Uttar Pradesh WITH In Re : Water Pollution at Rania, Kanpur Dehat & Rakhi Mandi, Kanpur Nagar, Uttar Pradesh.

Sir,

In Compliance of order dated 16-07-2020 passed by Hon'ble Tribunal in O.A. No. 985/2019 with O.A. No. 986/2019 In Re : Water Pollution by Tanneries at Jajmau, Kanpur, Uttar Pradesh WITH In Re : Water Pollution at Rania, Kanpur Dehat & Rakhi Mandi, Kanpur Nagar, Uttar Pradesh, the consolidated Compliance Report of State of Uttar Pradesh is enclosed and being submitted by the undersigned with the due approval of the Chief Secretary, State of Uttar Pradesh.

It is requested that the consolidated Compliance Report of State of Uttar Pradesh may be presented before the Hon'ble Tribunal for kind consideration.

Yours sincerely

Encl : As above.

(Ashish Tiwari)
Special Secretary.

<u>Compliance Report of directions issued by Hon'ble NGT order dated 16.07.2020 in the matter of O.A. No. 985/2019 with O.A. No. 986/2019 In Re : Water Pollution by Tanneries at Jajmau, Kanpur, Uttar Pradesh WITH In Re : Water Pollution at Rania, Kanpur Dehat & Rakhi Mandi, Kanpur Nagar, Uttar Pradesh.</u>

1. That the Chief Secretary, Government of U.P. has submitted the Compliance report of Order dated 15.11.2019 passed in the captioned matter on 11.06.2020 stating the progress regarding works related to remediation of chromium contaminated site at Rania, Khanchandpur, Kanpur Dehat, preparation of Action Plan for Restoration of Environment and Public Health at Rania, Khanchandpur, Kanpur Dehat, Health Survey in affected areas, Recovery of Environmental Compensation from units responsible for pollution due to Chromium Dump in Rania, Potable Water Supply for the residents of affected areas etc. That further progress made by the State in compliance of the directions of Hon'ble Tribunal is being filed herewith before Hon'ble Tribunal.
2. That Hon'ble Tribunal took up the matter on 16.07 2020 and reviewed the compliance status submitted by the state and passed certain direction regarding taking up prompt actions for compliance of directions passed vide earlier orders dated 15.11.2019. The relevant portion of the directions are reproduced below:

   ".....6. Having regard to the seriousness of the consequences for continued delay on one pretext or other, we direct the Chief Secretary, U.P to ensure prompt action on priority basis in a time

bound manner which may be personally monitored by the Chief Secretary, U.P. The Committee constituted by this Tribunal headed by Justice S.V.S. Rathore, former Judge of the Allahabad High Court may also oversee the compliance of this direction and give its independent report by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/ OCR Support PDF and not in the form of Image PDF. It is made clear that the Tribunal may have no other option except to take coercive measure for any further default by the State of U.P. Compliance status as on 31.10.2020 may be reported to this Tribunal before the next date by email at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/ OCR Support PDF and not in the form of Image PDF."

3. Further, the Chief Secretary, Government of U.P. has also reviewed the status of compliance through review meetings of the officials of concerned Departments on 09.07.2020 and 02.12.2020. The the Chief Secretary, Government of U.P. also reviewed the Status of compliance of observations/ recommendations made by the Oversight Committee through its report dated 23.12.2020 on 28.01.2021. Copies of the minutes of meetings dated 09.07.2020, 02.12.2020 & 28.01.2021 are enclosed herewith and marked as **<u>Annexure No. 1, 2 & 3.</u>**

4. In the review meetings, the status of compliance of the directions regarding disposal of chromium waste at Khanchandpur, Rania, Kanpur Dehat was discussed and following progress has been observed:

a. That Uttar Pradesh State Industrial Development Authority (UPSIDA) has invited e-tenders three times for disposal of chromium waste dumped near Village Khanchandpur, Rania, but only one bid was received and the cost mentioned by bidder was more than the estimated cost in the DPR prepared by CPCB. Therefore, the bids were not approved.

b. That UPSIDA has informed that they have sent letters to NEERI, IIT Kanpur, IIT Roorkee, IIT BHU, and IIT Delhi to provide consultancy regarding revised tender conditions and cost estimations etc. The decision will be taken by UPSIDA after the proposals are received from the said institutes. UPSIDA further informed in the meeting that Indian Institute of Technology, Kanpur (IIT, Kanpur) has given acceptance to provide consultancy regarding tender conditions and cost estimations. Fresh tender will be floated on the basis of revised tender conditions and cost estimations suggested by IIT, Kanpur.

c. That the Chief Secretary, Government of U.P. has directed in the review meeting dated 28.01.2021 that UPSIDA will get the report regarding technology, cost estimates and tender document prepared by IIT, Kanpur expeditiously within one week. After that the report shall be technically examined by the technical committee under the Co-chairmanship of Secretaries of Environment, Forest and Climate Change and Department of Infrastructure and Industrial Development.

UPSIDA shall call tender on the basis of technical approval of the Committee expeditiously, so that the work may be started.

d. That Piped Water Supply (PWS) to the residents of affected area of Rakhi Mandi, Kanpur Nagar was commissioned on 15.01.2020. Safe Water Supply through PWS is being provided since then continuously to inhabitants of the affected area through 2510 meter pipe line and 225 household connections.

e. That supply of safe water to the residents of village Khanchandpur, Rania through Piped Water Supply System has been started since 15th July, 2020.

f. That in compliance to the directions regarding health survey in affected areas, the Expert Committee constituted by Hon'ble Tribunal has submitted its preliminary assessment report after visiting the sites along with the methodology for Comprehensive Baseline Assessment and Mitigation Measures on 28-12-2019. Final report of Committee regarding Comprehensive Baseline Assessment and Mitigation Measures is awaited. Director, Medical & Health Services has informed that in village Khanchandpur health camps were organized every Saturday and Sunday from 02-02-2020 to 14-03-2020 and no signs of the adverse health effects of chromium were found on the patients examined during health camps. The Chief Secretary, Government of U.P. has directed in the review meeting dated 28.01.2021 that the Principal Secretary, Medical and Health shall ensure the submission of

report regarding Comprehensive Baseline Assessment and Mitigation Measures within one month.

5. That it is submitted that UP Pollution Control Board had imposed Environmental Compensation of Rs. 280.01 Crore against 06 defaulting industries on 19-11-2019 and Recovery Certificates (RCs) against the above 06 defaulting industries were issued as submitted in the previous compliance report. It is further submitted that the industries responsible for illegal dumping of chromium waste had filed Original Application Nos. 18, 19, 20, 21 and 22 of 2020 before Hon'ble Tribunal for getting relief against imposition of environmental compensation by Uttar Pradesh Pollution Control Board. That Hon'ble Tribunal has disposed off all the connected cases vide its order dated 28.01.2020 with the following direction:-

"Without expressing any opinion on merits, we direct that the impugned orders may be treated as a proposal with reference to which the applicants may furnish their response to the UP State PCB within two weeks. The UP State PCB may consider the objections of the applicants and pass an appropriate order within four weeks thereafter dealing with the matter on merits, in accordance with law".

That it is submitted that prior to imposition of environmental compensation upon the industries in question, the Uttar Pradesh Pollution Control Board (UPPCB) had issued the Show Cause Notices to these industries dated 24.10.2019 whereby time of 15 days was allowed to said industries for submitting their reply but

none of the said industries submitted their reply in the time specified in the Show Cause Notice issued by UPPCB. Therefore, the environmental compensation was imposed on 19.11.2019 against the industries in question. Thus the industries have obtained above order by concealing the facts before the Hon'ble Tribunal. Though U.P. Pollution Control Board had filed an application for modification of order dated 28.01.2020, yet UPPCB has considered the representation of said industries in compliance of Hon'ble Tribunal order dated 28.01.2020, in interest of justice and the Environmental Compensation imposed earlier against these industries had been reconfirmed through reasoned order dated 28.05.2020 after considering their representations. The copies of the said orders dated 28.05.2020 are enclosed herewith and marked as **Annexure Nos.- 4, 5, 6, 7 & 8**.

6. That It is further submitted that the industries responsible for illegal dumping of chromium waste filed Appeal Nos. 14, 15, 16, 17 and 18 of 2020 before Hon'ble Tribunal for getting relief in the matter of imposition of environmental compensation against them by Uttar Pradesh Pollution Control Board. That Hon'ble Tribunal has given following directions vide its order dated 04.01.2021 and has listed it for final hearing on 27.07.2021:-

> *" The persons responsible for dumping such hazardous waste, which has contaminated the ground water to the detriment of the inhabitants, cannot disown responsibility for liability for such damage on the ground of inaction of the authorities or closing of the companies. Corporate veil may not be a defence*

to absolute liability for damage to environment. Of course, the liability of appellants has to be limited to the violations clearly attributable to them. The State PCB must determine such liability specifically, after due opportunity to the appellants, preferably within a period of three months and till this is done, further coercive measures may not be taken. It is made clear that any further proceedings will be subject to further orders.

5. The above observations are for interim relief and are subject to final order after further consideration. Applications for interim relief will stand disposed of accordingly."

That it is submitted that UPPCB has again given due opportunity to the appellants as per order of the Hon'ble Tribunal dated 04.01.2021 and will dispose of the appeals after due hearing as per law.

7. That the ESCROW account has been opened by District Magistrate Kanpur Dehat, for deposition of funds to be utilized for removing the dumped hazardous waste and restoration of the environment and the public health. State Government has transferred amount of Rs 23.44 Crore to the ESCROW account on 27.03.2020. The rest amount for remediation of chromium dump site Khanchandpur, Rania, Kanpur Dehat, could not be deposited in the ESCROW account due to non-recovery of Environmental Compensation imposed against the 06 industries, as they have obtained stay from the Hon'ble NGT on 28.01.2020 and 04.01.2021.

8. That it is submitted that Government of Uttar Pradesh is committed, towards maintaining the water quality & flow of river Ganga and for ensuring compliance of orders of Hon'ble Tribunal.

The above compliance report is being placed for consideration of this Hon'ble Tribunal.

LUCKNOW

DATED: 29 January, 2021.

(Ashish Tiwari)
Special Secretary,
Environment, Forest and
Climate Change Department,
Government of Uttar Pradesh

Annexure-1

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा विभिन्न वादों के अन्तर्गत पारित आदेशों में निहित बिन्दुओं के अनुश्रवण एवं अनुपालन की समीक्षा किये जाने हेतु मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में दिनांक 09.07.2020 को आहूत बैठक का कार्यवृत्त ।

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन विभिन्न वादों के अन्तर्गत पारित आदेशों में निहित बिन्दुओं के अनुश्रवण एवं अनुपालन की समीक्षा किये जाने हेतु मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में दिनांक 09.07.2020 को अपरान्ह 04:30 बजे एक बैठक आहूत की गई। उक्त बैठक में उपस्थित अधिकारी गण की सूची संलग्न है। बैठक में प्रकरणवार हुए विचार–विमर्श एवं लिये गये निर्णय का विवरण निम्नवत् है–

1– ओ0ए0 सं0– 06/2012 मनोज मिश्रा बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया :–

सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अवगत कराया गया कि यह प्रकरण यमुना नदी प्रदूषण से सम्बन्धित है तथा इस प्रकरण में अधिकरण द्वारा ड्रेन्स में उत्प्रवाह शोधन हेतु बायो रेमिडियेशन/फाइटो रेमिडिएशन का कार्य दिनांक 01.01.2020 से प्रारम्भ किये जाने के निर्देश दिये गये है तथा उल्लंघन की दशा में रू0 5 लाख प्रति माह/ड्रेन की दर से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपण के आदेश भी जारी किये गये है। उक्त के अतिरिक्त संचालित एस0टी0पी0 में कमियों का निराकरण 03 माह में पूर्ण किये जाने के निर्देश दिये गये है, जिसके उल्लंघन की दशा में रू0 5 लाख प्रति माह/एस0टी0पी0 की दर से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपण केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में जमा किये जाने के निर्देश जारी है। इसी प्रकार ऐसे एस0टी0पी0, जिनके निर्माण का कार्य दिनांक 01.07.2020 तक पूर्ण नहीं किया गया है, के सम्बन्ध में भी पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपण हेतु मासिक दरें निर्धारित की गई है। उक्त के अतिरिक्त बन्थला कैनाल एवं इन्दिरापुरी ड्रेन के क्षेत्र में फिकल स्लज ट्रीटमेंट व्यवस्था भी पूर्ण की जानी है।

प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम द्वारा अवगत कराया गया कि सीवेज उपचार संयंत्र की परियोजनाओं की स्वीकृति में विलम्ब के कारण निर्धारित समयावधि में कार्य पूर्ण किया जाना सम्भव नहीं हुआ है।

प्रमुख सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन द्वारा सूचित किया गया कि इस प्रकरण में कृत कार्यवाही की रिपोर्ट सुश्री शैलजा चन्द्रा की अध्यक्षता में मा0 अधिकरण द्वारा गठित अनुश्रवण समिति को प्रेषित की गई है तथा आगामी सुनवाई की तिथि दिनांक 27.01.2021 को मा0 अधिकरण द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य की प्रगति का अनुश्रवण किया जाएगा।

प्रमुख सचिव, सिंचाई एवं जल संसाधन द्वारा अवगत कराया गया कि बायो डायवर्सिटी पार्क के विकास हेतु दिल्ली विकास प्राधिकरण को मा0 एन0जी0टी0 के आदेशानुसार दी जाने वाली धनराशि के सम्बन्ध में पत्रावली निर्णयार्थ विचाराधीन है तथा फ्लड प्लेन के डिमार्केशन का कार्य पूर्ण कराया जा चुका है।

बैठक में निर्णय लिया गया कि ड्रेन्स के फाइटोरेमिडियेशन के सम्बन्ध में फिजिबिलिटी का अध्ययन करते हुए कार्यों को पूर्ण किये जाने की समयबद्ध योजना तत्काल तैयार कर प्रस्तुत करें तथा प्रकरण में मा0 अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 11.09.2019 एवं दिनांक 06.05.2020 में पारित निर्देशों के अनुसार साहिबाबाद, इन्दिरापुरी एवं बन्थला ड्रेन्स के टैपिंग व अन्य परियोजनाओं को शीघ्रता से पूर्ण कराने की कार्यवाही की जाए। बन्थला एवं इन्दिरापुरी कैनाल की टैपिंग हेतु प्रस्तावित 60 एम0एल0डी0 एस0टी0पी0 की स्वीकृति हेतु नेशनल मिशन फार क्लीन गंगा के स्तर पर तत्परता से प्रयास किया जाए। उक्त के अतिरिक्त कोविड–2019 के दृष्टिगत कार्य बधित होने एवं राज्य की वित्तीय आय प्रभावित होने सम्बन्धी बिन्दु सम्मिलित करते हुए मा0 अधिकरण के आदेश में निर्धारित समय–सीमा में कार्य पूर्ण न होने के कारण अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति पर पुनर्विचार हेतु कार्यों की प्रगति एवं समयबद्ध योजना के साथ मा0 अधिकरण से अनुरोध किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग द्वारा दिल्ली विकास प्राधिकरण को दी जाने वाली धनराशि के सम्बन्ध में शीघ्रता से आवश्यक कार्यवाही की जाए।

उपरोक्त प्रकरण हेतु मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में सुनवाई की आगामी तिथि 27.01.2021 नियत है। मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण के निर्देशों के अनुपालन में वांछित अनुपालन की कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुए 01 माह में अनुपालन आख्या पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग एवं उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को उपलब्ध करायी जाय।

(कार्यवाही–नगर विकास विभाग तथा सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग)

2– <u>ओ0ए0 सं0– 200/2014 एम0सी0 मेहता बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया :–</u>

सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अवगत कराया गया कि यह प्रकरण गंगा नदी प्रदूषण से सम्बन्धित है। मा0 अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.12.2019 में निर्देशित किया गया कि गंगा नदी के कैचमेन्ट क्षेत्र में सीवेज उपचार संयंत्रों की संचालित परियोजनायें दिनांक 30.06.2020 तक पूर्ण की जायें तथा अन्य समस्त परियोजनायें दिनांक 31.12.2020 तक पूर्ण कर ली जायें। मा0 अधिकरण द्वारा यह भी निर्देश दिये गये हैं कि उक्त कार्य पूर्ण होने तक सीवेज शोधन हेतु अन्तरिम व्यवस्था की जाए। मा0 अधिकरण के आदेश में अन्तरिम उपचार की समयबद्ध कार्यवाही नहीं किये जाने के दृष्टिगत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपण हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को दिये गये निर्देशों के अनुक्रम में केन्द्रीय बोर्ड द्वारा नगर विकास विभाग पर रू0 18 करोड़ मात्र की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति पत्र दिनांक 03.02.2020 द्वारा अधिरोपित करते हुए मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन को उक्त धनराशि जमा कराये जाने के सम्बन्ध में पत्र दिनांक 16.06.2020 द्वारा अनुस्मारक पत्र प्रेषित किया गया है।

सचिव, नगर विकास विभाग द्वारा सूचित किया गया कि अन्तरिम उपचार की परियोजना वित्त विभाग द्वारा स्वीकृत नहीं की गई है। ऐसी स्थिति में सम्बन्धित स्थानीय

निकायों को बायो रेमिडियेशन कार्य किये जाने के निर्देश निर्गत किये गये है। प्रमुख सचिव, सिंचाई एवं जल संसाधन द्वारा अवगत कराया गया कि गंगा नदी में बिजनौर से कानपुर तक लम्बाई में फ्लड प्लेन जोन के डिमार्केशन का कार्य प्रगति पर है तथा ई–फ्लों की अधिसूचना का अनुपालन किया जा रहा है। फ्लड प्लेन जोन का नोटिफिकेशन माह जुलाई, 2020 तक पूर्ण कर लिया जाएगा।

बैठक में निर्णय लिया गया कि नगर विकास विभाग द्वारा तत्काल वित्त विभाग से समन्वय कर परियोजनाओं की स्वीकृति से सम्बन्धित आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाए तथा उक्त के अतिरिक्त कोविड–2019 के दृष्टिगत कार्य बधित होने एवं राज्य की वित्तीय आय प्रभावित होने सम्बन्धी बिन्दु सम्मिलित करते हुए मा0 अधिकरण के आदेश में निर्धारित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति पर पुनर्विचार हेतु कार्यों की प्रगति एवं समयबद्ध योजना के साथ मा0 अधिकरण से अनुरोध किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग द्वारा फ्लड प्लेन जोन का नोटिफिकेशन निर्गत कर उसकी सूचना पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को प्रेषित की जाए। अग्रिम सुनवाई की तिथि दिनांक 13.08.2020 को मा0 अधिकरण के समक्ष अनुपालन आख्या प्रस्तुत की जा सकें।

उपरोक्त प्रकरण हेतु मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में सुनवाई की आगामी तिथि 27.01.2021 नियत है। मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण के निर्देशों के अनुपालन में वांछित अनुपालन की कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुए 01 सप्ताह में अनुपालन आख्या पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग एवं उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को उपलब्ध करायी जाय।

(कार्यवाही–नगर विकास विभाग तथा सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग)

3– <u>ओ0ए0 सं0–231/2014 दोआबा पर्यावरण समिति बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 :–</u>

सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अवगत कराया गया कि यह प्रकरण हिण्डन नदी कैचमेन्ट क्षेत्र में भूजल प्रदूषण से सम्बन्धित है। मा0 अधिकरण द्वारा हर्रा नगर पंचायत मेरठ में 102 गांवों में पाईप्ड जल आपूर्ति का कार्य प्रगति पर है तथा ग्राम विराल में टेण्डरिंग की स्टेज में है । मा0 अधिकरण द्वारा उक्त कार्य माह अक्टूबर, 2020 तक पूर्ण किये जाने के निर्देश दिये गये है।

प्रमुख सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन द्वारा बताया गया कि सहारनपुर, बुढ़ाना एवं मुजफ्फरनगर में 03 एस0टी0पी0 स्थापित किये जाने हैं तथा इन क्षेत्रों में ड्रेन के रेमिडियेशन का कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है। इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य विभाग द्वारा हेल्थ कैम्प में पाये गये 169 कैंसर मरीजों के उपचार का बिन्दु भी सम्मिलित है। उक्त के अतिरिक्त अनटैप्ड ड्रेन्स में अन्तरिम उपचार का कार्य भी प्रारम्भ नहीं हुआ है।

सचिव, नगर विकास द्वारा सूचित किया गया कि हर्रा नगर पंचायत में पाईप्ड जल आपूर्ति की रू 8 करोड़ लागत की परियोजना वित्त विभाग में स्वीकृति हेतु विचाराधीन है।

सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण द्वारा सूचित किया गया कि 112 कैंसर मरीजों का उपचार विशिष्ट चिकित्सालयों में कराया जा रहा है।

बैठक में निर्णय लिया गया कि मा0 अधिकरण के आदेशों से आच्छादित महत्वपूर्ण परियोजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर सूचीबद्ध कर उनकी स्वीकृति के सम्बन्ध में विचार–विमर्श हेतु वित्त विभाग के साथ एक बैठक आहूत कर कार्यवाही की जाए तथा एस0टी0पी0, ड्रेन्स के रेमिडियेशन की समस्त परियोजनाओं में टाइमलाइन प्रदर्शित करते हुए एवं कोविड–2019 के दृष्टिगत कार्य बाधित होने एवं राज्य की वित्तीय आय प्रभावित होने सम्बन्धी बिन्दु सम्मिलित करते हुए मा0 अधिकरण के आदेश में निर्धारित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति दरों पर पुनर्विचार हेतु कार्यों की प्रगति एवं समयबद्ध योजना के साथ मा0 अधिकरण से अनुरोध किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। उक्त के अतिरिक्त नगर विकास विभाग एवं चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा मा0 अधिकरण के आदेश दिनांक 28.02.2020 के अनुपालन में की गई कार्यवाही की आख्या 01 सप्ताह में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 शासन एवं उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को उपलब्ध करायी जाये, ताकि आगामी नियत तिथि 06.08.2020 से पूर्व ससमय मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में अनुपालन आख्या प्रस्तुत किये जाने की कार्यवाही की जा सके।

(कार्यवाही–नगर विकास विभाग/चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग)

4– <u>ओ0ए0 सं0– 116/2014 मीरा शुक्ला बनाम म्युनिसिपल कार्पोरेशन, गोरखपुर तथा ओ0ए0 सं0– 437/2015 :–</u>

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा उक्त आदेश के अन्तर्गत रामगढ़ ताल के आस–पास के क्षेत्र में अतिक्रमण को हटाये जाने, उक्त ताल में निस्तारित होने वाले घरेलू जल–मल को तत्काल बायोरेमिडेशन/फाइटोरेमिडेशन के द्वारा शुद्धीकरण किये जाने, नगर पालिका परिषद, खलीलाबाद एवं नगर पंचायत, मगहर द्वारा एस0टी0पी0 की स्थापना, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण (गीडा), गोरखपुर द्वारा सी0ई0टी0पी0 की स्थापना, नगर निगम गोरखपुर द्वारा नगरीय ठोस अपशिष्ट का समुचित प्रबन्ध, बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज, गोरखपुर द्वारा बायो मेडिकल वेस्ट मैनेजमेन्ट रूल्स, 2016 का अनुपालन सुनिश्चित करने, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनापत्ति तथा केन्द्रीय भू–जल प्राधिकरण से भू–जल दोहन हेतु अनापत्ति प्राप्त करने वाले उद्योगों को ही विद्युत संयोजन प्रदान किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण में प्रकरण दिनांक 05.11.2020 को नियत है तथा अनुपालन आख्या दिनांक 30.09.2020 तक दाखिल की जानी है।

बैठक में विचार–विमर्श के उपरान्त निम्न निर्णय लिये गये–

1– प्रदेश में उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से बिना स्थापनार्थ अनापत्ति प्राप्त किये रेड एवं ऑरेन्ज कैटेगरी के प्रदूषणकारी प्रकृति के उद्योगों को विद्युत संयोजन न दिया जाये। उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से स्थापनार्थ सहमति प्राप्त होने के उपरान्त विद्युत विभाग द्वारा रेड एवं ऑरेन्ज कैटेगरी के उद्योगों को अस्थायी विद्युत संयोजन तत्पश्चात उद्योगों द्वारा संचालनार्थ सहमति प्राप्त होने के उपरान्त उद्योगों को स्थायी विद्युत संयोजन प्रदान किया जाये। इस हेतु उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रदूषणकारी उद्योगों की सूची ऊर्जा विभाग को उपलब्ध कराई जाए तथा उक्त सम्बन्ध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। उक्त कार्यवाही विलम्बतम् 01 माह में पूर्ण कर ली जाए।

(कार्यवाही–ऊर्जा विभाग एवं उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड)

2– भू–गर्भ जल की दृष्टि से Over Exploited, Critical एवं Semi Critical में प्रस्तावित उद्योगों के सम्बन्ध में यह निर्देश दिये गये है कि अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग द्वारा मत स्थिर कर समस्या के समाधान हेतु प्रस्ताव 01 सप्ताह में लघु

सिंचाई एवं भुगर्भ जल विभाग को प्रेषित किया जाए। लघु सिंचाई एवं भुगर्भ जल विभाग प्रस्ताव पर मत स्थिर कर 01 माह में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करायें।

(कार्यवाही–लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल विभाग, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग एवं उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड)

3– नगर पालिका परिषद, खलीलाबाद में एस0टी0पी0 की स्थापना हेतु उ0प्र0 जल निगम द्वारा तैयार डी0पी0आर0 लागत रू0 33.20 करोड़ धनराशि तथा नगर पालिका परिषद, खलीलाबाद, संतकबीर नगर द्वारा एस0टी0पी0 लागत रू0 19.88 करोड़ धनराशि के डी0पी0आर0 को एन0एम0सी0जी0 से शीघ्र स्वीकृत कराकर एस0टी0पी0 के स्थापना का कार्य शीघ्र प्रारम्भ कराया जाये। यदि एन0एम0सी0जी0 द्वारा धनराशि उपलब्ध नहीं करायी जाती है, तो प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग द्वारा वैकल्पिक वित्तीय व्यवस्था के सम्बन्ध में प्रस्ताव 01 माह में प्रस्तुत किये जाये।

(कार्यवाही–नगर विकास विभाग एवं प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम)

4– गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, (गीडा), गोरखपुर द्वारा रू0 76.79 करोड़ की लागत से सी0ई0टी0पी0 की स्थापना प्रस्तावित है, जिसमें रू0 20 करोड़ की धनराशि अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, रू0 17 करोड़ गीडा तथा शेष रू0 39. 79 करोड़ की धनराशि एन0एम0सी0जी0 से प्राप्त की जानी है। इस सम्बन्ध में निर्देश दिये गये कि एन0एम0सी0जी0 से फालोअप कर डी0पी0आर0 का शीघ्र अनुमोदन कराकर सी0ई0टी0पी0 की शीघ्र स्थापना करायी जाये।

(कार्यवाही–अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, निदेशक, एस0एम0सी0जी0 एवं गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण गोरखपुर)

5– नगर निगम, गोरखपुर द्वारा नगरीय ठोस अपशिष्ट के शुद्धीकरण, निस्तारण एवं लैण्डफिल साइट की समयबद्ध कार्ययोजना तैयार कर स्थापना की जाये तथा कार्ययोजना की प्रति पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग एवं उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को उपलब्ध करायी जाये।

(कार्यवाही–नगर विकास विभाग, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग एवं नगर निगम गोरखपुर)

6– सम्बन्धित विभागों द्वारा माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा दिये गये आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये एवं रिवाइज्ड टाइम लाइन की सूचना सहित माननीय अधिकरण में अनुपालन आख्या समय से दाखिल करना सुनिश्चित किया जाये। यदि आदेश के किसी बिन्दु के अनुपालन में कोई तकनीकी/वित्तीय कठिनाई है, तो यह दृष्टिगत रखते हुए कि उपरोक्त वाद की मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में सुनवाई हेतु आगामी तिथि 05.11.2020 नियत है, सम्बन्धित विभाग द्वारा माननीय अधिकरण में राज्य सरकार की ओर से उपयुक्त निर्देश जारी कराने हेतु 01 में में कार्यवाही करना सुनिश्चित किया जाये। मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण के निर्देशों के अनुपालन में वांछित अनुपालन की कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुए 01 माह में अनुपालन आख्या पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग एवं उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को उपलब्ध करायी जाए।

(कार्यवाही–समस्त सम्बन्धित विभाग)

5– **<u>ओ0ए0 सं0– 593/2017 पर्यावरण सुरक्षा बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया :–</u>**

सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अवगत कराया गया कि इस प्रकरण में मा0 अधिकरण द्वारा पारित आदश दिनांक 21.05.2020 में निर्देशित है कि सीवेज के 100 प्रतिशत शोधन तथा शोधित उत्प्रवाह के प्रयोग हेतु बजट, वित्तीय प्रावधान प्रदर्शित करते हुए कार्ययोजना केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को 30.06.2020 तक प्रेषित की जानी

थी, जिसके सम्बन्ध में मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र दिनांक 05.06.2020 द्वारा नगर विकास विभाग को समयबद्ध कार्यवाही के लिए निर्देश जारी किये गये हैं।

प्रमुख सचिव, पर्यावरण द्वारा बताया गया कि मा0 अधिकरण द्वारा उपरोक्त आदेश में दिनांक 01.07.2020 तक 100 प्रतिशत सीवेज शोधन हेतु इनसीटू रेमिडियेशन कार्य किये जाने, एस0टी0पी0 स्थापना प्रारम्भ किये जाने एवं समस्त ड्रेन्स को एस0टी0पी0 से जोड़े जाने के निदश दिये गये है तथा उल्लंघन की दशा में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपण की मासिक दर निर्धारित की गई है।

बैठक में निर्णय लिया गया कि नगर विकास विभाग द्वारा मा0 अधिकरण के उपरोक्त आदेशों के अनुपालन में 100 प्रतिशत सीवेज शोधन हेतु इनसीटू रेमिडियेशन कार्य किये जाने, एस0टी0पी0 स्थापना प्रारम्भ किये जाने एवं समस्त ड्रेन्स को एस0टी0पी0 से जोड़े जाने से सम्बन्धित समयबद्ध कार्ययोजना तथा कोविड–19 के दृष्टिगत राज्य सरकार की आय पर पड़ने वाले प्रभाव को सम्मिलित करते हुए मा0 अधिकरण को अवगत कराते हुए अनुपालन आख्या प्रस्तुत किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए तथा मा0 अधिकरण के उपरोक्त आदेश के अनुपालन में कार्यवाही करते हुए अनुपालन आख्या नगर विकास विभाग द्वारा प्रस्तुत की जाए।

प्रकरण में सनुवाई की आगामी तिथि 21.09.2020 नियत है। अतः नगर विकास विभाग द्वारा मा0 एन0जी0टी0 के निर्देशों के अनुपालन में कार्यवाही पूर्ण कराते हुए अनुपालन आख्या मा0 एन0जी0टी0 में समयान्तर्गत दाखिल करायी जाय तथा कृत कार्यवाही से पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 शासन तथा उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को 15 दिन में अवगत कराया जाय।

(कार्यवाही–नगर विकास विभाग)

6– **<u>ओ0ए0 सं0– 909/2018 एवं 954/2018 कोफेडरेशन ऑफ ट्रांस हिण्डन आर0डब्ल्यू0ए0 गाजियाबाद बनाम उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं अन्य :–</u>**

सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अवगत कराया गया कि यह प्रकरण इन्दिरापुरम, गाजियाबाद में डम्प लिगेसी वेस्ट के सुरक्षित निस्तारण से सम्बन्धित है। मा0 अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 03.03.2020 में निर्देशित किया गया है कि इन्दिरापुरम, गाजियाबाद में डम्प लिगेसी वेस्ट के रेमिडियेशन का कार्य 01 माह में प्रारम्भ किया जाए, समस्त लिगेसी वेस्ट डम्प साइट्स को चिन्हित किया जाए तथा सीवेज प्रबन्धन तथा ड्रेन्स का रेमिडियेशन कार्य 01 माह में प्रारम्भ किया जाए। मा0 अधिकरण के उपरोक्त आदेश में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को उल्लंघन की दशा में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपण के निर्देश दिये गये है।

सचिव, नगर विकास द्वारा अवगत कराया गया कि नगर निगम, गाजियाबाद द्वारा टेण्डर का कार्य प्रगति पर है, 10 ड्रेन्स चिन्हित की गई हैं, जिनमें से 05 ड्रेन्स की डी0पी0आर0 तैयार कर स्वीकृति हेतु प्रेषित है।

बैठक में निर्णय लिया गया कि नगर विकास विभाग द्वारा मा0 अधिकरण के उपरोक्त आदेशों के अनुपालन में लिगेसी वेस्ट के रेमिडियेशन, समस्त लिगेसी वेस्ट डम्प साइट्स के चिन्हीकरण तथा सीवेज प्रबन्धन तथा ड्रेन्स का रेमिडियेशन कार्य से सम्बन्धित समयबद्ध कार्ययोजना तथा कोविड–19 के दृष्टिगत राज्य सरकार की आय पर पड़ने वाले प्रभाव को सम्मिलित करते हुए मा0 अधिकरण को अवगत कराते हुए अनुपालन आख्या प्रस्तुत किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए तथा मा0 अधिकरण के उपरोक्त आदेश के अनुपालन में कृत कार्यवाही प्रदर्शित करते हुए अनुपालन आख्या नगर विकास विभाग द्वारा प्रस्तुत की जाए।

उपरोक्त कार्यवाही आगामी नियत तिथि 22.07.2020 से पूर्व सुनिश्चित करायी जाय तथा कृत कार्यवाही से पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 शासन तथा उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को अवगत कराया जाय।

(कार्यवाही—नगर विकास विभाग)

7— ओ0ए0 सं0— 606/2018 कम्प्लायंस ऑफ म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट रूल्स, 2016 :—

सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अवगत कराया गया कि यह प्रकरण ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन से सम्बन्धित है तथा मा0 अधिकरण द्वारा पारित निर्देश दिनांक 10.01.2020 में आदेशित किया गया है कि ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन का कार्य दिनांक 31.03.2020 तक पूर्ण रूप से किया जाना सुनिश्चित करें तथा लिगेसी वेस्ट के रेमिडियेशन का कार्य दिनांक 01.04.2020 से प्रारम्भ किया जाना सुनिश्चित करें। मा0 अधिकरण द्वारा उक्त समयावधि के उल्लंघन की स्थिति में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपण की दरें निर्धारित की गई है।

बैठक में निर्णय लिया गया कि नगर विकास विभाग द्वारा मा0 अधिकरण के उपरोक्त आदेशों के अनुपालन में ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन तथा लिगेसी वेस्ट के रेमिडियेशन कार्य से सम्बन्धित समयबद्ध कार्ययोजना तथा कोविड—19 के दृष्टिगत राज्य सरकार की आय पर पड़ने वाले प्रभाव को सम्मिलित करते हुए मा0 अधिकरण को अवगत कराते हुए अनुपालन आख्या प्रस्तुत किये जाने की कार्यवाही नगर विकास विभाग द्वारा 15 दिन के अन्दर सुनिश्चित की जाए तथा कृत कार्यवाही से पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 शासन एवं उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को अवगत कराया जाय।

(कार्यवाही—नगर विकास विभाग)

8— ओ0ए0 सं0—648/2019 मै0 हिण्डन रिजार्ट प्रा0लि0 बनाम जी0डी0ए0 :—

सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अवगत कराया गया कि यह प्रकरण इन्दिरापुरम, गाजियाबाद में एस0टी0पी0 द्वारा अनुपालन नहीं किये जाने से सम्बन्धित है। मा0 अधिकरण द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा नगर निगम, गाजियाबाद तथा उ0प्र0 जल निगम पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपण की कार्यवाही की गई है। मा0 अधिकरण द्वारा यह भी निर्देश दिये गये हैं कि एस0टी0पी0 द्वारा मानकों की प्राप्ति किये जाने हेतु उ0प्र0 जल निगम एवं नगर निगम, गाजियाबाद द्वारा कार्ययोजना प्रस्तुत की जाए, शुद्धिकृत उत्प्रवाह के निस्तारण हेतु पृथक चैनल के निर्माण तथा उक्त कार्यों हेतु परफार्मेन्स गारंटी जमा किये जाने के निर्देश दिये गये है।

बैठक में निर्णय लिया गया कि एस0टी0पी0 का संचालंन निर्धारित मानकों के अनुरूप किये जाने हेतु उ0प्र0 जल निगम एवं नगर निगम गाजियाबाद द्वारा कार्यवाही सुनिश्चित की जाए एवं मा0 अधिकरण के आदेशों का अनुपालन किया जाए। नगर विकास विभाग द्वारा एन0एम0सी0जी0, भारत सरकार से समन्वय कर परियोजनाओं की स्वीकृति हेतु कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। उक्त प्रकरण में अगली सुनवाई की तिथि 29.09.2020 नियत है। नगर विकास विभाग द्वारा मा0 अधिकरण के उपरोक्त आदेशों के अनुपालन में सीवेज शोधन एवं अधिकरण के आदेश में वर्णित समस्त कार्यों से सम्बन्धित समयबद्ध कार्ययोजना तथा कोविड—19 के दृष्टिगत राज्य सरकार की आय पर पड़ने वाले प्रभाव को सम्मिलित करते हुए 15 दिन में मा0 अधिकरण में अनुपालन आख्या प्रस्तुत किये जाने हेतु कार्यवाही

सुनिश्चित की जाए तथा उक्त की सूचना पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 शासन एवं उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रेषित की जाय।

(कार्यवाही–नगर विकास विभाग)

9– ओ0ए0 सं0–490/2019 टी0एस0 सिंह बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 :

सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अवगत कराया गया कि यह प्रकरण प्रतापगढ़ में सई नदी के प्रदूषण नियंत्रण हेतु निर्मित एस0टी0पी0 हेतु सीवर लाईन बिछाये जाने एवं एस0टी0पी0 से संयोजित किये जाने से सम्बन्धित है। एस0टी0पी0 निर्माण का कार्य 2009 में अधूरा छोड़ दिये जाने के सम्बन्ध में सचिव, नगर विकास विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त कार्य हेतु पूर्व में कार्यदायी संस्था के उत्तरदायी परियोजना प्रबन्धक के विरूद्ध एफ0आई0आर0 दर्ज करा दी गई है। सई नदी में सीधे गिर रहे सीवेज का बायो रेमिडियेशन का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है।

बैठक में निर्णय लिया गया कि दोषी परियोजना प्रबन्धक के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ की जाए। उक्त प्रकरण में सुनवाई की अगली तिथि 01.09.2020 नियत है। नगर विकास विभाग द्वारा सीवर लाइन बिछाये जाने एवं एस0टी0पी0 संयोजन हेतु समयबद्ध कार्ययोजना तत्काल बनाकर मा0 अधिकरण में अनुपालन आख्या 15 दिन में प्रस्तुत किये जाने की कार्यवाही पूर्ण की जाए तथा उक्त की सूचना पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 शासन एवं उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रेषित की जाय।

(कार्यवाही–नगर विकास विभाग)

10– ओ0ए0 सं0– 985/2019 एवं 986/2019 :

सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अवगत कराया गया कि यह प्रकरण जाजमऊ, कानपुर, रनिया, कानपुर देहात एवं राखी मण्डी, कानपुर में जल प्रदूषण से सम्बन्धित है। इस प्रकरण में मा0 अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.11.2019 में खानचन्दपुर, रनिया, कानपुर देहात में क्रोमियम कण्टामिनेटेड स्थल के रेमिडियेशन तथा प्रभावित गाँवों में स्वच्छ जल आपूर्ति किये जाने के निर्देश पारित किये गये।

प्रमुख सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन द्वारा सूचित किया गया कि इस प्रकरण में अनुपालन रिपोर्ट दिनांक 04.02.2020 एवं दिनांक 11.06.2020 द्वारा मा0 एन0जी0टी0 में प्रस्तुत की गई।

जिलाधिकारी, कानपुर देहात द्वारा अवगत कराया गया है कि क्षेत्र की दोषी इकाईयों के विरूद्ध रिकवरी सम्बन्धी कार्यवाही के प्रस्ताव उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से प्राप्त हो गये हैं, जिन पर वसूली की कार्यवाही उप जिलाधिकारी द्वारा की जा रही है। मुख्य सचिव द्वारा निर्देशित किया गया कि वसूली की कार्यवाही का अनुश्रवण प्रत्येक 15 दिन पर करते हुए अनुपालन आख्या पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 शासन एवं उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रेषित की जाए।

क्रोमियम डम्प के निस्तारण के सम्बन्ध में यू0पी0सी0डा0 के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि क्रोमियम अपशिष्ट के निस्तारण हेतु विभाग द्वारा किये गये टेण्डर पर मात्र 1 प्रस्ताव उचित पाये जाने के दृष्टिगत पुनः टेण्डर की प्रक्रिया की जानी है।

बैठक में निर्णय लिया गया कि यू0पी0सी0डा0 द्वारा वित्तीय नियमों के अनुरूप शीघ्र कार्यवाही कराते हुए क्रोमियम डम्प के निस्तारण हेतु कार्यवाही सुनिश्चित की जाए एवं अनुपालन आख्या 01 माह में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 शासन एवं उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रेषित की जाए।

(कार्यवाही–यू0पी0सी0डा0/ जिलाधिकारी, कानपुर देहात)

11— मा0 अधिकरण में विचाराधीन उपरोक्त प्रकरणों में मा0 अधिकरण द्वारा पारित आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि बायो रेमिडियेशन, ड्रेन की टैपिंग, पाइप्ड पेय जल योजना, लिगेसी वेस्ट, सॉलिड वेस्ट, शोधित उत्प्रवाह के पूर्ण उपभोग आदि की महत्वपूर्ण परियोजनायें, जो कि मा0 एन0जी0टी0 के आदेशों से आच्छादित है तथा जिसमें आदेशों का अनुपालन समयबद्ध रूप से सुनिश्चित कराया जाना है, के सम्बन्ध में एक प्राथमिकता सूची तैयार कर उनके वित्त पोषण हेतु वित्त विभाग के साथ 15 दिन में एक बैठक आयोजित करायें, ताकि प्राथमिकता के आधार पर योजनाओं को स्वीकृत किये जाने के संबंध में वित्त विभाग के साथ विचार—विमर्श किया जा सके तथा मा0 एन0जी0टी0 के आदेशों की अवमानना की स्थिति उत्पन्न न हो।

(कार्यवाही—नगर विकास विभाग, नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग एवं वित्त विभाग)

12— बैठक में निर्णय लिया गया कि मा0 अधिकरण में विचाराधीन उपरोक्त समस्त प्रकरणों के अन्तर्गत आच्छादित ऐसी परियोजनायें, जिनमें प्रस्तावित समय—सीमा मा0 एन0जी0टी0 द्वारा निर्देशित समय—सीमा से अधिक है, के सम्बन्ध में कार्यों को डी0पी0आर0 में निर्धारित समयसीमा के पूर्व पूर्ण कराये जाने के दृष्टिगत कार्यों के इण्टरमीडिएट माइलस्टोन निर्धारित करते हुए अतिरिक्त संसाधानों के साथ गहन अनुश्रवण कर इस प्रकार सम्पादित कराया जाए जिससे उक्त कार्य डी0पी0आर0 में निर्धारित समय—सीमा के पूर्व पूर्ण हो जाए। इस सम्बन्ध में सम्भावित संशोधित टाइमलाइन के आधार पर मा0 एन0जी0टी0 के समक्ष पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति से मुक्त कराये जाने हेतु अनुरोध आवेदन 15 दिन दाखिल कर आदेश प्राप्त करने का प्रयास किया जाए।

(कार्यवाही—समस्त सम्बन्धित विभाग)

बैठक में मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन द्वारा निर्देशित किया गया कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा विभिन्न विचाराधीन एप्लीकेशनस में पारित आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित नहीं किये जाने के उत्पन्न डिफाल्ट की स्थिति में उत्तरदायी अधिकारियों एवं कार्मिकों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही करते हुए उक्त की सूचना मा0 अधिकरण में प्रस्तुत कर दी जायेगी। अतः समस्त विभागों द्वारा मा0 अधिकरण के आदेशों में निहित निर्देशों के अनुरूप समयबद्ध कार्यवाही कराते हुए उक्त की अनुपालन आख्या ससमय मा0 अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

बैठक धन्यवाद के साथ समाप्त हुई।

संजय सिंह
सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग—7
संख्या— 684 /81—7—2020—01(पर्या)/2015
लखनऊ : दिनांक : 23 जुलाई, 2020

प्रतिलिपि—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1— अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, नगर विकास/अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास/सिंचाई एवं जल संसाधन/पंचायती राज/चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार

कल्याण/ग्राम्य विकास/ऊर्जा/लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल/आवास एवं शहरी नियोजन/भूतत्व एवं खनिकर्म/वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।

2— जिलाधिकारी, कानपुर देहात/गाजियाबाद।

3— नगर आयुक्त, नगर निगम, गोरखपुर/गाजियाबाद।

4— मुख्य कार्यपालक अधिकारी, गीडा, गोरखपुर/यूपीसीडा, कानपुर।

5— प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।

6— निदेशक, एस0एम0सी0जी0/लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल, उ0प्र0।

7— सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

8— गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(भारत प्रसाद)
अनु सचिव।

Annexure—2

File No.81-7005(099)/245/2020-07-,

<u>माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा विभिन्न वादों में जारी निर्देशों के अनुपालन की अद्यतन स्थिति की समीक्षा हेतु मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में आहूत बैठक दिनांक 02.12.2020 का कार्यवृत्त।</u>

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन विभिन्न वादों, जिनमें मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन स्तर पर मा0 अधिकरण के आदेश के अनुश्रवण हेतु निर्देश जारी हैं, में अनुपालन की अद्यतन स्थिति की समीक्षा हेतु मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में दिनांक 02.12.2020 को मध्याह्न 12:00 बजे वीडिया कान्फ्रेन्सिंग के माध्यम से बैठक आहूत की गई। उक्त बैठक में उपस्थित अधिकारियों का विवरण संलग्न है।

2— मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन द्वारा मा0 एन0जी0टी0 में लम्बित विभिन्न वादों में पारित आदेशों के समयबद्ध अनुपालन की आवश्यकता पर बल दिया गया तथा निर्देशित किया गया कि यदि किसी विभाग द्वारा माननीय न्यायालयों/एन0जी0टी0 के आदेशो के अनुपालन के संबंध में यथावश्यक कार्यवाही समय पर नहीं की जाती है तथा समय पर अनुपालन न किये जाने के दृष्टिगत माननीय न्यायालय अथवा मा0 एन0जी0टी0 द्वारा मुख्य सचिव को अनुपालन के लिये निर्देशित किया जाता है, तो इसमें विभाग की लापरवाही का संज्ञान लेकर उत्तरदायी विभागीय अधिकारियों के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। मुख्य सचिव द्वारा यह भी निर्देश दिया गया कि माननीय न्यायालयों/एन0जी0टी0 मे प्रचलित महत्वपूर्ण वादों में पैरवी का अनुश्रवण अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव स्तर के अधिकारी द्वारा स्वयं किया जाय। प्रकरणवार हुए विचार-विमर्श एवं लिये गये निर्णयों का विवरण निम्नवत् है :—

1— **<u>ओ0ए0 सं0—231/2014 दोआबा पर्यावरण समिति बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्यः</u>**

सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अवगत कराया गया कि यह प्रकरण हिण्डन नदी कैचमेन्ट क्षेत्र में भूजल प्रदूषण से सम्बन्धित है। प्रकरण में मुख्य बिन्दु प्रभावित ग्रामों में पाईप्ड वाटर सप्लाई, प्रस्तावित एस0टी0पी0 की स्थापना, ड्रेन्स के फाईटोरेमिडिएशन/बायोरेमिडिएशन, दोषी उद्योगों के विरूद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि की वसूली, परफार्मेंस गारण्टी, दोषी अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही आदि हैं।

प्रभावित सभी 148 गाँवों में पाईप्ड वाटर सप्लाई के संबंध में अनुपालन की स्थिति के संबंध में अवगत कराया गया कि 103 ग्रामों में पाईप्ड वाटर सप्लाई का कार्य पूर्ण किया जा चुका है, शेष 44 ग्रामों एवं 1 हर्रा टाउन एरिया कमेटी में कार्य प्रगति पर है, जोकि 31 दिसम्बर, 2020 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है। इस संबंध में उ0प्र0 जल निगम द्वारा अवगत कराया गया कि माह अक्टूबर तक की प्रगति आख्या प्रेषित की जा चुकी है तथा अद्यतन प्रगति आख्या उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रेषित कर दी जाएगी। मा0 अधिकरण द्वारा उक्त कार्य माह अक्टूबर, 2020 तक पूर्ण किये जाने के निर्देश दिये गये थे।

03 एस0टी0पी0 (मुजफ्फरनगर—22 एम0एल0डी0, बुढ़ाना—10 एम0एल0डी0 एवं सहारनपुर—93.6 एम0एल0डी0) की स्थापना के संबंध में अवगत कराया गया कि बुढ़ाना एवं मुजफ्फरनगर में टेण्डर फाईनल किए जा चुके हैं तथा मुजफ्फरनगर में बाउण्ड्रीवाल की स्थापना का कार्य प्रारम्भ हो चुका है। सहारनपुर में स्थापित किए जाने वाले एस0टी0पी0 की डी0पी0आर0 एन0एम0सी0जी0 में अनुमोदन हेतु लम्बित है। बैठक के दौरान सहारनपुर में स्थापित किए जाने वाले एस0टी0पी0 के शीघ्र अनुमोदन हेतु नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा (एन0एम0सी0जी0) को पत्र प्रेषित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया। बायोरेमिडिएशन के बिन्दु पर नगर विकास द्वारा अवगत कराया गया कि इस संबंध में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से विमर्श कर लिया गया है तथा कुछ स्थानों पर फाइटोरेमिडिएशन/बायोरेमिडिएशन कार्य प्रारम्भ किया गया है। जिन स्थानों पर फाइटोरेमिडिएशन/बायोरेमिडिएशन का कार्य प्रारम्भ किया जा चुका है, उनका विवरण प्रेषित करते हुए टाईमलाइन बढ़ाए जाने तथा ड्रेन्स पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किए जाने के मा0 एन0जी0टी0 के फैसले पर पुनर्विचार हेतु

मा0 एन0जी0टी0 में अपील दाखिल की जाएगी।

प्रदूषणकारी उद्योगों पर अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की वसूली के संबंध में सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अवगत कराया गया कि 9.4 करोड़ पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की गयी थी, जिसके विरूद्ध रूपये 3.75 की धनराशि की रिकवरी की जा चुकी है। डिफाल्टर उद्योगों के विरूद्ध भू–राजस्व की भाँति वसूली की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गयी है।

नगर विकास द्वारा अवगत कराया गया कि इस संबंध में दोषी अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही की सूचना पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को प्रेषित की जायेगी।

बैठक में निर्णय लिया गया कि मा0 अधिकरण के आदेशों से आच्छादित महत्त्वपूर्ण परियोजनाओं यथा–प्रभावित ग्रामों में पाईप्ड वाटर सप्लाई, प्रस्तावित एस0टी0पी0 की स्थापना, ड्रेन्स के फाईटोरेमिडिएशन/बायोरेमिडिएशन आदि को प्राथमिकता के आधार पर कार्य पूर्ण करें। पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति दरों/परफार्मेंस गारण्टी पर पुनर्विचार हेतु कार्यों की प्रगति एवं समयबद्ध योजना के साथ मा0 अधिकरण से अनुरोध किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। उक्त के अतिरिक्त परियोजना में हुये विलम्ब के लिये दोषी अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही की जाए। परफार्मेंस गारण्टी जमा किये जाने के संबंध में आख्या तत्काल पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को प्रेषित की जाए।

(कार्यवाही – अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, नगर विकास/ लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल विभाग/उ0प्र0 जल निगम)

2. **ओ0ए0 सं0–06/2012 मनोज मिश्रा बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं ओ0ए0 संख्या– 648/2019 मै0 हिण्डन रिजोर्ट प्रा0लि0 बनाम जी0डी0ए0–**

सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अवगत कराया गया कि यह प्रकरण यमुना नदी कैचमेन्ट क्षेत्र में भूजल प्रदूषण से सम्बन्धित है। प्रकरण में मा0 एन0जी0टी0 द्वारा दिनांक 11.09.2019 एवं 05.03.2020 को जारी आदेशों में मुख्य रूप से शार्ट टर्म एवं लांग टर्म एक्शन प्लान की प्रगति, कैचमेंट में स्थापित एस0टी0पी0 के संचालन, एस0टी0पी0 की स्थापना/अपग्रेडेशन की स्थिति, सेप्टेज मैनेजमेंट पॉलिसी, स्टेटस ऑफ बायो–रेमिडिएशन, आन लाइन मॉनीटरिंग सिस्टम की स्थापना, औद्योगिक एवं आवासीय क्षेत्रों से अशुद्धिकृत उत्प्रवाह के निस्तारण को रोके जाने, ई0टी0पी0/एस0टी0पी0 के सुचारू रूप से संचालन, यमुना नदी के फ्लड प्लेन पर यू0पी0 पार्ट के रिजुविनेशन आदि बिन्दु आच्छादित हैं।

उ0प्र0 जल निगम से प्राप्त आख्या के अनुसार साहिबाबाद ड्रेन का फ्लो मापन के उपरान्त 90 एम0एल0डी0 पाया गया है, थर्ड पार्टी से Flow measurement हेतु दिनांक 02.11.2020 को पत्र प्रेषित किया गया है।

इन्दिरापुरी ड्रेन एवं बम्हेटा कैनाल ड्रेन के इन्टरसेप्शन/डायवर्जन के उपरान्त उक्त के शोधन हेतु 60 एम0एल0डी0 एस0टी0पी0 प्रस्तावित है, जिस हेतु डी0पी0आर0 एन0एम0सी0जी0 में प्रेषित की गयी है। स्वीकृति के उपरान्त 2 वर्ष में उक्त कार्य पूर्ण होना प्रस्तावित है।

इन्दिरापुरम गाजियाबाद में कुल 8 एस0टी0पी0 हैं, जिनमें 56 एम0एल0डी0 क्षमता के 04 एसटी0पी0 गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, 70, 56, 56 एवं 74 एम0एल0डी0 क्षमता के 04 एस0टी0पी0 उ0प्र0 जल निगम, जिनके संचालन हेतु मैसर्स VA Tech Wabag, Chennai से अनुबन्ध किया गया है तथा 30 एमएलडी एस0टी0पी0 लोनी, जिसका संचालन उ0प्र0 जल निगम द्वारा किया जा रहा है, स्थापित हैं। उ0प्र0 जल निगम द्वारा इन्दिरापुरम में स्थापित 03 एस0टी0पी0 (56, 56, 74) एमएलडी कुल क्षमता–186 एम0एल0डी0 के संचालन हेतु मैसर्स VA Tech Wabag, Chennai से अनुबन्ध किया गया है। पाईप लाइन आदि की मरम्मत का कार्य नवम्बर, 2020 तक पूर्ण होना प्रस्तावित है। वर्तमान में 74 एम0एल0डी0 एस0टी0पी0 के renovation का कार्य पूर्ण हो

चुका है, एवं उक्त एस0टी0पी0 मानकों की प्राप्ति कर रहा है। 70 एम0एल0डी0, 56 एम0एल0डी0 एवं 30 एम0एल0डी0 एस0टी0पी0 (लोनी) के renovation का कार्य फरवरी, 2021 तक पूर्ण होना प्रस्तावित है।

उक्त के अतिरिक्त 32 के0एल0डी एफ0एस0टी0पी0 लोनी में तथा 50 के0एल0डी0 एफ0एस0टी0पी0 गाजियाबाद की स्थापना की जानी है।

सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अवगत कराया गया कि conforming/non-conforming areas में स्थापित प्रदूषणकारी उद्योगों के विरूद्ध कार्यवाही की गयी। उद्योगों में स्थापित ई0टी0पी0 एवं सी0ई0टी0पी0 के प्रभावी मॉनीटरिंग हेतु टीम गठित कर कार्यवाही की जा रही है। सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि उनके द्वारा अनुपालन आख्या यमुना मॉनीटरिंग कमेटी को प्रेषित की जा चुकी है।

बैठक में निर्णय लिया गया कि मा0 अधिकरण के आदेशों से आच्छादित महत्वपूर्ण परियोजनाओं में कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण करते हुए प्रश्नगत ड्रेन्स से यमुना नदी में हो रहे प्रदूषण का निवारण किया जाए। यदि किसी परियोजना में टाइम लाईन का विस्तार वांछित हो तो संबंधित विभाग मा0 एन0जी0टी0 में आवेदन पत्र प्रस्तुत कर प्रभावी पैरवी कराते हुए उचित आदेश प्राप्त कर अग्रिम कार्यवाही करें। जिला प्रशासन द्वारा जिला स्तरीय टास्क फोर्स का गठन कर नॉन कन्फर्मिंग एरियास में अवैध रुप से संचालित उद्योगों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही कर उन्हें बन्द कराया जाए।

(कार्यवाही – अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, नगर विकास /लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल/जिलाधिकारी, गाजियाबाद तथा प्रबंध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम)

3. <u>ओ0ए0 संख्या–200/2014 एम0सी0 मेहता बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य–</u>

बैठक में ओ0ए0 संख्या–200/2014 एम0सी0 मेहता बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक 18.12.2019 के अनुपालन के कम में सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा विभिन्न विभागों से अपेक्षित कार्यवाही का अद्यतन स्टेटस एवं अग्रेतर अपेक्षित कार्यवाही का प्रस्तुतीकरण किया गया।

सचिव, नगर विकास विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि विभिन्न ड्रेन्स के टैपिंग के संबंध में की गयी अद्यतन कार्यवाही का विवरण शीघ्र ही पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को प्रेषित कर दिया जायेगा। एस0टी0पी0 से शुद्धिकृत उत्प्रवाह के पुनः प्रयोग हेतु नीति बनायी जा चुकी है तथा कार्ययोजना विचाराधीन है। सेप्टेज मैनेजमेंट पॉलिसी भी बनायी जा चुकी है। अन्टैप्ड ड्रेन्स में बायो रेमिडियेशन/फाइटोरेमिडियेशन सम्बंधी प्रस्ताव हेतु फण्डिंग के लिये सम्बंधित जनपदों के निकायों की अनुमति न मिल पाने के कारण, कानपुर, प्रयागराज एवं वाराणसी में बायो रेमिडियेशन के कार्य को छोड़कर अन्य सभी अनटैप्ड ड्रेन्स में कार्यवाही नहीं हो सकी है।

उ0प्र0 जल निगम के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि सेग्मेंट–बी एवं फेज–2 के अनटैप्ड ड्रेन्स के प्रस्ताव एक माह के अन्दर तैयार कर लिये जायेंगे तथा उ0प्र0 जल निगम द्वारा जनपद बांदा, गाजियाबाद एवं कानपुर के पूर्व सूचित असंचालित तीनों एस0टी0पी0 संचालित हैं। आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद गाजियाबाद का एस0टी0पी0 संचालित है, मुरादाबाद स्थित एस0टी0पी0 सीवेज की अनुपलब्धता के कारण संचालित नहीं हो सका हैं तथा फिरोजाबाद का एस0टी0पी0 नगर निगम के क्षेत्रान्तर्गत आता है तथा शीघ्र संचालित होना प्रस्तावित है।

फलड प्लेन जोन तथा ई–फ्लो से सम्बंधित बिन्दु पर सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के उपस्थित प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि सेग्मेंट–बी, फेज–1 के लिये नोटिफिकेशन जारी किया जा चुका है तथा फेज–2 हेतु केन्द्रीय भूजल

आयोग द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया जायेगा। गंगा नदी में ई–फ्लो मेन्टेन करने हेतु नियमित अन्तराल पर नरौरा एवं अन्य बांध से जल छोड़ा जा रहा है तथा रि–फ्लो नोटिफिकेशन का अनुपालन किया जा रहा है।

बैठक में यह निर्णय लिया गया कि सभी सम्बंधित विभागों द्वारा मा0 एन0जी0टी0 द्वारा दिये गये निर्देशों का प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित किया जाये तथा ऐसे प्रोजेक्ट जिनमें पूर्व सूचित समय–सीमा के अन्तर्गत कार्य पूर्ण नहीं हो पा रहे हैं, तो ऐसे प्रोजेक्ट की समीक्षा कर संशोधित समय–सीमा के लिये मा0 एन0जी0टी0 से अनुरोध कर लिया जाये। जिन प्रोजेक्ट्स के समय से पूर्ण न होने की स्थिति में जुर्माना जमा किया जाना है, उनके सम्बंध में औचित्य दिखाते हुए मा0 एन0जी0टी0 से जुर्माना जमा करने से छूट हेतु अनुरोध कर लिया जाये। आवास एवं शहरी नियोजन विभाग एवं उ0प्र0 जल निगम द्वारा असंचालित एस0टी0पी0 के संचालित हो जाने सम्बंधी अद्यतन रिपोर्ट तत्काल पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग एवं उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को भेज दी जाये। संबंधित विभागों के अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव अपने स्तर पर गहन समीक्षा अवश्य कर लें तथा परियोजना के कियान्वयन में लापरवाही पाये जाने पर दोषी अधिकारियों को चिन्हित कर उनके विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही करें।

(कार्यवाही – अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, नगर विकास, सिंचाई एवं जल संसाधन तथा प्रबंध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम)

4. <u>ओ0ए0 संख्या–985/2019 विद 986/2019: वॉटर पाल्यूशन बाई टैनरीज एट जाजमऊ, कानपुर उत्तर प्रदेश विद वॉटर पाल्यूशन एट रनिया, कानपुर देहात एण्ड राखी मंडी, कानपुर नगर, उत्तर प्रदेश–</u>

बैठक में ओ0ए0 संख्या–985/2019 विद 986/2019 के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक 16.07.2020 के अनुपालन के कम में सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा विभिन्न विभागों से अपेक्षित कार्यवाही का अद्यतन स्टेटस एवं अग्रेतर अपेक्षित कार्यवाही का प्रस्तुतीकरण किया गया।

खानचन्दपुर, रनियाँ, कानपुर देहात में भण्डारित अवैध कोमियम डम्प के निस्तारण के सम्बंध में उत्तरदायी विभाग यूपीसीडा के उपस्थित प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि उनके द्वारा तीन बार टेण्डर आमंत्रित किये गये, परन्तु तीनों बार एक ही निविदा प्राप्त हुई तथा उसमें सूचित भण्डारित अवैध कोमियम डम्प के निस्तारण की लागत अनुमानित लागत के सापेक्ष काफी अधिक पाये जाने के कारण टेण्डर को निरस्त कर दिया गया। वर्तमान में नीरी नागपुर एवं चार प्रमुख आई0आई0टी0 से टेण्डर की शर्तों को शिथिल करने के सम्बंध में सुझाव आमंत्रित किये गये हैं, जिससे उनको सम्मिलित करते हुए पुनः निविदा आमंत्रित कर अग्रिम कार्यवाही की जा सके। सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अवगत कराया गया कि खानचन्दपुर रनियाँ, कानपुर देहात एवं राखीमण्डी कानपुर में प्रभावित क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल की आपूर्ति पाइपलाइन के माध्यम से प्रारम्भ किये जाने की सूचना प्राप्त हुई है।

प्रमुख सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि प्रभावित क्षेत्र में 02 हेल्थ कैम्प आयोजित किये गये थे, परन्तु कोविड–19 के कारण अन्य कैम्प आयोजित नहीं किये जा सके हैं। अंतिम हेल्थ सर्वे रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। उन्होंने यह भी अवगत कराया कि कोविड–19 के कारण पूर्ण अंतिम रिपोर्ट अभी तैयार नहीं हो पायी है, परन्तु आयोजित किये गये हेल्थ कैम्प में आने वाले मरीजों में पायी जाने वाली बीमारियों का सम्बंध कोमियम डम्प से सम्भावित दुष्प्रभावों से होना सिद्ध नहीं हो पाया है। इसके अतिरिक्त एस0जी0पी0जी0आई0 के चिकित्सा अधीक्षक डा0 हर्षवर्धन की अध्यक्षता में एक चिकित्सकीय टीम का भी गठन किया गया है, जिसकी रिपोर्ट अपेक्षित है।

कानपुर देहात स्थित कोमियम डम्प की दोषी इकाइयों के विरूद्ध अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की वसूली के सम्बंध में जिलाधिकारी, कानपुर देहात से अद्यतन

4–

स्थिति से अवगत कराने की अपेक्षा की गयी। जिलाधिकारी, कानपुर देहात द्वारा अवगत कराया गया कि सभी दोषी उद्योगों के विरूद्ध वसूली की कार्यवाही प्रारम्भ की जा चुकी है तथा इस कार्यवाही में यह ज्ञात हुआ कि वसूली नोटिस जारी होने के पूर्व ही अधिकांश उद्यमियों द्वारा जमीन बेची जा चुकी है। कुछ उद्यमियों की सम्पत्ति कानपुर नगर में है, इसलिये जिलाधिकारी, कानपुर नगर से वसूली हेतु अग्रिम कार्यवाही के लिये अनुरोध किया गया है। कानपुर देहात में स्थित एक उद्यमी की जमीन पर महाविद्यालय बनाया जा रहा है तथा जमीन सरकार के नाम दृष्टिबंधक है।

ओ0ए0 संख्या–986/2019 के अन्तर्गत मा0 एन0जी0टी0 द्वारा उ0प्र0 जल निगम पर अशुद्धिकृत सीवेज गंगा नदी में प्रवाहित करने के कारण उ0प्र0 सरकार पर रूपये 10 करोड़ तथा उ0प्र0 जल निगम पर रूपये 1.0 करोड़ की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की गयी है, जिसे जमा नहीं किया गया है। उ0प्र0 जल निगम द्वारा जाजमऊ में स्थापित एस0टी0पी0 का प्रभावी संचालन नहीं किये जाने एवं अशुद्धिकृत सीवेज को बाईपास कर गंगा नदी में प्रवाहित करने के कारण बोर्ड द्वारा भी उ0प्र0 जल निगम के विरूद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति हेतु कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।

बैठक में यह निर्णय लिया गया कि यूपीसीडा द्वारा क्रोमियम डम्प के निस्तारण की कार्यवाही में अत्यंत विलम्ब किया गया है, जिसके दृष्टिगत यूपीसीडा द्वारा नीरी नागपुर तथा आई0आई0टी0 से दूरभाष पर वार्ता कर शीघ्र रिपोर्ट प्राप्त कर टेण्डर आमंत्रित करते हुए भण्डारित क्रोमियम वेस्ट को हटाने की कार्यवाही शीघ्र पूर्ण की जाये। चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को निर्देशित किया गया कि किये गये सर्वे के आधार पर अंतिम रिपोर्ट शीघ्र पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग एवं उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को उपलब्ध करायी जाये। जिलाधिकारी, कानपुर देहात से अपेक्षा की गयी कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की वसूली हेतु शीघ्र प्रभावी कार्यवाही की जाये तथा जिलाधिकारी, कानपुर नगर को भी दोषी उद्योगों की सम्पत्ति से वसूली हेतु आर0सी0 स्थानान्तरित कर दी जाये। उद्यमी के महाविद्यालय की जो जमीन उ0प्र0 सरकार के नाम बंधक है, उसमें सेकेण्ड चार्ज के रूप में नियमानुसार पर्यावरण विभाग/जिलाधिकारी, कानपुर देहात का भी नाम दर्ज कराया जाय जिससे उ0प्र0 सरकार से भूमि बन्धक मुक्त होने के बाद यदि आर.सी. की धनराशि वसूली हेतु अवशेष रहती है तो इस सम्पत्ति से नियमानुसार वसूली की जा सके। उ0प्र0 जल निगम द्वारा मा0 एन0जी0टी0 द्वारा अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति से छूट हेतु औचित्य दिखाते हुए मा0 एन0जी0टी0 से अनुरोध किया जाये।

(कार्यवाही – प्रमुख सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,/नगर विकास विभाग, प्रबंध निदेशक, यूपीसीडा/उ0प्र0 जल निगम एवं जिलाधिकारी, कानपुर नगर/कानपुर देहात)

5. **<u>ओ0ए0 संख्या–804/2017 राजीव नाराण बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य–</u>**

बैठक में ओ0ए0 संख्या–804/2017 राजीव नाराण बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक 01.07.2020 के अनुपालन के क्रम में सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा विभिन्न विभागों से अपेक्षित कार्यवाही का अद्यतन स्टेट्स एवं अग्रेतर अपेक्षित कार्यवाही का प्रस्तुतीकरण किया गया। उनके द्वारा अवगत कराया गया कि प्रदेश में परिसंकटमय अपशिष्ट (प्रबंधन एवं हथालन) नियम, 1989 प्रख्यापित हो जाने से पूर्व ही अनेक उद्योगों द्वारा अपने परिसंकटमय अपशिष्ट के प्रभावी निस्तारण न किये जाने के कारण प्रदेश में 19 कन्टेमिनेटेड साइट एवं 22 प्रोबेबल कन्टेमिनेटेड साइट्स चिन्हित किये गये थे। इनके सम्बंध में बोर्ड द्वारा अद्यतन जांच करायी गयी, जिसके आधार पर 12 साइट्स में भूगर्भ जलगुणता कुप्रभावित न पाये जाने के दृष्टिगत केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को उक्त 12 साइट्स को कन्टेमिनेटेड साइट्स की सूची से हटाने हेतु अनुरोध किया जा चुका

है। इसके अतिरिक्त 08 साइट्स के सम्बंध में यूपीसीडा से भूगर्भ जल गुणता सम्बंधी रिपोर्ट प्राप्त होना शेष है। इन सभी साइट्स के सम्बंध में पूर्ण रिपोर्ट प्राप्त हो जाने के पश्चात् गुणदोष के आधार पर भूगर्भ जल के रेमिडियेशन की कार्यवाही हेतु फण्डिंग की आवश्यकता होगी; जिसका प्रबन्ध दोषी उद्योग चिन्हित हो जाने की स्थिति में "पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल" के आधार पर उद्योगों से अन्यथा की स्थिति में राज्य सरकार से कराया जाना अपेक्षित होगा।

मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित निर्देशों के अनुपालन में श्रम विभाग, नगर विकास विभाग आदि से अद्यतन स्टेट्स रिपोर्ट अपेक्षित है।

यूपीसीडा के उपस्थित प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि उनके विभाग में कन्टेमिनेटेड साइट्स के सम्बंध में जांच हेतु प्रभावी सुविधा उपलब्ध नहीं है। उक्त कार्य उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से करा लिया जाये तथा इस हेतु जो भी धन आवश्यक होगा, वह उपलब्ध करा दिया जायेगा। श्रम विभाग के उपस्थित प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि उनके द्वारा अद्यतन स्टेट्स रिपोर्ट आज भेज दी गयी है।

अन्त में मुख्य सचिव महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि यूपीसीडा द्वारा उनके क्षेत्र से अपेक्षित जांच सम्बंधी कार्य सम्भव न हो पाने की स्थिति में उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को आवश्यक धनराशि उपलब्ध कराते हुए कार्य पूर्ण कराये जाने के आशय का पत्र भेजा जाये। जिन क्षेत्रों में रेमिडियेशन का कार्य किया जाना है, उस हेतु दोषी उद्योगों को चिन्हित कर उनसे उक्त कार्य पूर्ण कराया जाये, अन्यथा की स्थिति में राज्य सरकार के अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, नगर विकास विभाग आदि द्वारा धन उपलब्ध कराते हुए कार्य कराया जाये। श्रम विभाग एवं नगर विकास विभाग द्वारा अद्यतन स्टेट्स रिपोर्ट पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग एवं उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को तत्काल उपलब्ध करायी जाये।

(कार्यवाही– अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास, श्रम, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, नगर विकास तथा प्रबंध निदेशक, यूपीसीडा)

6. **ओ0ए0 संख्या–380/2018 पार्क अवेन्यू प्लाट होल्डर्स वेलफेयर सोसाइटी एवं अन्य बनाम यूनियन आफ इण्डिया एवं अन्य–**

सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अवगत कराया गया कि मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ के मास्टर प्लान के अन्तर्गत खुली ज़मीन/पार्क/हरित पट्टिका के विक्रय एवं अवैध प्लाटिंग के संबंध में प्रकरण मा0 एन0जी0टी0 में योजित है। मा0 एन0जीटी0 द्वारा उक्त को सेक्रूआम किये जाने हेतु आदेशित किया गया है।

बैठक में निर्णय लिया गया कि संबंधित प्रकरण में आवास एवं शहरी नियोजन विभाग विधि स्थापित व्यवस्था का पालन करते हुये अनाधिकृत रूप से किये गये निर्माण का ध्वस्तीकरण करते हुए मास्टर प्लान के अनुसार हरित पट्टिका हेतु भूमि को रिक्त कराते हुए हरित पट्टिका को विकसित किया जाए। इसी प्रकार प्रदेश के अन्य जनपदों/प्राधिकरणों में भी तदनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। आवास एवं शहरी नियोजन विभाग द्वारा एतन्नात विधिक व्यवस्था का पूर्ण विवरण एवं अनुपालन सूचना पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग एवं उ0 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को उपलब्ध करायी जाय।

(कार्यवाही – अपर मुख्य सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग)

7. **ओ0ए0 संख्या 490/2019 टी0एस0 सिंह बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 एण्ड अदर्स–**

सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अवगत कराया गया कि यह प्रकरण प्रतापगढ़ में सई नदी के प्रदूषण नियंत्रण हेतु निर्मित एस0टी0पी0 हेतु सीवर लाईन बिछाये जाने एवं एस0टी0पी0 से संयोजित किये जाने से सम्बन्धित है। एस0टी0पी0 निर्माण का कार्य 2009 में अधूरा छोड़ दिये जाने के सम्बन्ध में सचिव,

6-

नगर विकास द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त कार्य हेतु पूर्व में कार्यदायी संस्था के उत्तरदायी परियोजना प्रबन्धक के विरूद्ध एफ0आई0आर0 दर्ज करा दी गई है। सई नदी में सीधे गिर रहे सीवेज का बायो–रेमिडियेशन का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है।

सचिव, नगर विकास द्वारा अवगत कराया गया कि पूर्व निर्मित एस0टी0पी0 को पूर्ण रूप से संचालित करने तथा सई नदी मे गिर रहे नालों की टैपिंग कर एस0टी0पी0 से संयोजन करने हेतु डी0पी0आर0 तैयार कराकर अनुमोदन हेतु मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली प्रेषित की गई है।

बैठक में निर्णय लिया गया कि सचिव, नगर विकास विभाग द्वारा इस संबंध में एन0एम0सी0जी0 से सम्पर्क कर प्राथमिकता के आधार पर स्वीकृति प्राप्त कर कार्य प्रारम्भ किया जाये तथा एस0टी0पी0 को संचालित कराया जाय। दोषी परियोजना प्रबन्धक के विरूद्ध की गयी कार्यवाही का विवरण सहित तथा सीवर लाइन बिछाये जाने एवं एस0टी0पी0 संयोजन हेतु समयबद्ध कार्ययोजना बना कर मा0 एन0जी0टी0 में अनुपालन आख्या प्रस्तुत किये जाने की कार्यवाही तत्काल की जाए।

(कार्यवाही –प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग)

8. **<u>ओ0ए0 सं0 – 116/2014 मीरा शुक्ला बनाम म्युनिसिपल कार्पोरेशन, गोरखपुर तथा ओ0ए0 सं0 – 437/2015–</u>**

मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित आदेश के अन्तर्गत रामगढ़ ताल के आस–पास के क्षेत्र में अतिक्रमण को हटाये जाने, उक्त ताल में निस्तारित होने वाले घरेलू जल–मल को तत्काल बायोरेमिडेशन/फाइटोरेमिडेशन के द्वारा शुद्धीकरण किये जाने, नगर पालिका परिषद, खलीलाबाद एवं नगर पंचायत, मगहर द्वारा एस0टी0पी0 की स्थापना, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण (गीडा), गोरखपुर द्वारा सी0ई0टी0पी0 की स्थापना, नगर निगम गोरखपुर द्वारा नगरीय ठोस अपशिष्ट का समुचित प्रबन्ध, बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज, गोरखपुर द्वारा बायो मेडिकल वेस्ट मैनेजमेन्ट रूल्स, 2016 का अनुपालन सुनिश्चित करने, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनापत्ति तथा केन्द्रीय भू–जल प्राधिकरण से भू–जल दोहन हेतु अनापत्ति प्राप्त करने वाले उद्योगों को ही विद्युत संयोजन प्रदान किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। मा0 एन0जी0टी0 में प्रकरण दिनांक 17.12.2020 को नियत है।

1– इस सम्बन्ध में सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अवगत कराया गया कि अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 ने पत्र दिनांक 02.11.2020 द्वारा प्रबन्ध निदेशक, विद्युत वितरण निगम लि0, दक्षिणान्चल/मध्यान्चल/पूर्वान्चल/पश्चिमान्चल/आगरा/लखनऊ/वाराणसी/मेरठ एवं केस्को लि0, कानपुर को निम्न निर्देश निर्गत किये गये हैं:–

अ. रेड एवं ऑरेन्ज इण्डस्ट्रीज सेक्टर टाइप हेतु प्राप्त अस्थाई विद्युत संयोजन के आवेदनों पर उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा उद्योग की स्थापनार्थ सहमति प्रपत्र के बिना अस्थाई संयोजन निर्गत न किया जाये।

ब. रेड एवं ऑरेन्ज इण्डस्ट्रीज सेक्टर टाइप हेतु प्राप्त अस्थाई विद्युत संयोजन के आवेदनों पर उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा उद्योग की संचालनार्थ सहमति प्रपत्र के बिना अस्थाई संयोजन निर्गत न किया जाय।

बैठक में निर्णय लिया गया कि अध्यक्ष ,उ0प्र0 पॉवर कार्पोशन के उक्त आदेश दिनांक 02.11.2020 का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(कार्यवाही – अध्यक्ष, उ0प्र0 पॉवर कॉर्पोरेशन)

2– सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अवगत कराया गया कि केन्द्रीय भू–गर्भ जल प्राधिकरण के अधिसूचना दिनांक 24.09.2020 के अनुसार किसी नये नलकूप की स्थापना बिना सी0जी0डब्लू0ए0 की अनुमति के बिना नहीं होगी तथा भू–गर्भ जल के निकासी के विभिन्न प्रयोजनों के लिये दरें निर्धारित की गयी हैं। सी0जी0डब्लू0ए0 की अनुमति के बिना नये नलकूपों की स्थापना पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति निर्धारित करने का उत्तरदायित्व सम्बन्धित जिलाधिकारी को अधिकृत किया गया है।

बैठक में निर्णय लिया गया कि अतिदोहित एवं क्रिटिकल नोटिफाइड एरियाज में भू–जल की निकासी करने वाले उद्योगों अथवा विस्तारीकरण की परियोजनाओं के संबंध में केन्द्रीय भूगर्भ जल प्राधिकरण द्वारा निर्गत अधिसूचना दिनांक 24.09.2020 का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाय।

(कार्यवाही – अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, सिंचाई एवं जल संसाधन/लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल/नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति, निदेशक, भूगर्भ जल विभाग एवं सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड)

3– नगर पालिका परिषद, खलीलाबाद एवं नगर पंचायत, मगहर में एस0टी0पी0 की स्थापना के सम्बन्ध में उ0प्र0 जल निगम द्वारा तैयार की गयी डी0पी0आर0 की स्वीकृति हेतु एन0एम0सी0जी0 में में प्रेषित की गयी है। मुख्य सचिव द्वारा सचिव, नगर विकास विभाग को निर्देश दिये गये कि एन0एम0सी0जी0 से समन्वय स्थापित कर शीघ्र स्वीकृत कराने हेतु प्रयास किया जाये एवं तदनुसार मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में अनुपालन आख्या प्रस्तुत की जाये।

(कार्यवाही – प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग)

4– गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, (गीडा), गोरखपुर द्वारा रू0 76.79 करोड़ की लागत से सी0ई0टी0पी0 की स्थापना के सम्बन्ध में डी0पी0आर0 की स्वीकृति हेतु एन0एम0सी0जी0 से सम्पर्क कर डी0पी0आर0 की स्वीकृति हेतु शीघ्र कार्यवाही सुनिश्चित की जाय तथा समयबद्ध कार्ययोजना बनाकर सी0ई0टी0पी0 की स्थापना सुनिश्चित करायी जाय।

(कार्यवाही – अपर मुख्य सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग तथा मुख्य कार्यपालक अधिकारी, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण गोरखपुर)

5– नगर आयुक्त, नगर निगम, गोरखपुर द्वारा अवगत कराया गया कि नगरीय ठोस अपशिष्ट के शुद्धीकरण, निस्तारण एवं लैण्डफिल साइट के सम्बन्ध में भूमि चिन्हित कर ली गयी है। मुख्य सचिव द्वारा निर्देश दिये गये कि नगर निगम द्वारा शेष चिन्हित भूमि का अधिग्रहण जिलाधिकारी, गोरखपुर से समन्वय स्थापित कर शीघ्र किया जाये। अग्रिम कार्यवाही अतिशीघ्र सम्पादित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

(कार्यवाही – प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, जिलाधिकारी, गोरखपुर एवं नगर आयुक्त, नगर निगम, गोरखपुर)

6– नगर आयुक्त, नगर निगम, गोरखपुर द्वारा अवगत कराया गया कि रामगढ़ताल में निस्तारित हो रहे अनटैप्ड नालों में बायो रेमिडेशन का कार्य दिनांक 15.12.2020 से प्रारम्भ हो जायेगा। रामगढ़ताल में निस्तारित हो रहे अनटैप्ड नालों में बायो रेमिडेशन/फाईटो रेमिडेशन किये जाने तथा नालों को टैप्ड किये जाने के सम्बन्ध में संशोधित टाइम लाइन औचित्य सहित मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली के समक्ष प्रस्तुत किये जाने हेतु नगर निगम, गोरखपुर एवं उत्तर प्रदेश जल, निगम को निर्देशित किया गया।

(कार्यवाही – प्रमुख सचिव, नगर विकास, उ0प्र0 जल निगम एवं नगर निगम गोरखपुर)

7– गोमती नदी के कैचमेन्ट में स्थापित हो रहे एस0टी0पी0 के सम्बन्ध में संशोधित टाइम लाइन उत्तर प्रदेश जल निगम द्वारा मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली के समक्ष प्रस्तुत की जाये एवं सीधे निस्तारित हो रहे नालों में तत्काल बायो रेमिडेशन/फाइटो रेमिडेशन आरम्भ कराया जाये।

(कार्यवाही–प्रमुख सचिव, नगर विकास, प्रबंध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम तथा नगर आयुक्त, लखनऊ)

8– बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज, गोरखपुर के विरूद्ध उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि रू0 4.4115 करोड़ को जमा किये जाने के सम्बन्ध में चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा अद्यतन आख्या पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग एवं उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को एक सप्ताह में उपलब्ध करायी जाये।

(कार्यवाही – प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, बीआरडी मेडिकल कालेज, गोरखपुर)

9– तिहुरा नाले की सफाई एवं नाले में बन्धों को हटाये जाने के सम्बन्ध में जिलाधिकारी, अयोध्या द्वारा अवगत कराया गया कि तिहुरा नाले में बन्धों को हटाये जाने के सम्बन्ध में एक याचिका मेसर्स यश पैका लि0, दर्शन नगर, अयोध्या द्वारा मा0 उच्च न्यायालय, खण्डपीठ लखनऊ में दायर की गयी है। तिहुरा नाले के बन्धों को न हटाये जाने के सम्बन्ध में दूसरी याचिका शान्ति सिंह द्वारा दायर की गयी है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अभी तक उक्त याचिकाओं पर कोई आदेश पारित नही किये गये हैं। बैठक में निर्णय लिया गया कि प्रकरण में मुख्य स्थायी अधिवक्ता से समन्वय स्थापित कर केस की शीघ्र पैरवी करायी जाय तथा मुख्य स्थायी अधिवक्ता की राय अनुसार तिहुरा नाले की अद्यतन अनुपालन आख्या विलम्बतम एक सप्ताह में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग एवं उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को उपलब्ध करायी जाये।

(कार्यवाही –जिलाधिकारी, अयोध्या)

9. <u>ओ0ए0 सं0 – 606/2018 कम्प्लायंस ऑफ म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट रूल्स, 2016–</u>

सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अवगत कराया गया कि यह प्रकरण ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन से सम्बन्धित है तथा मा0 अधिकरण द्वारा पारित निर्देश दिनांक 10.01.2020 में आदेशित किया गया है कि ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन का कार्य 31.03.2020 तक पूर्ण रूप से किया जाना सुनिश्चित करें तथा लिगेसी वेस्ट के रेमिडियेशन

9–

का कार्य दिनांक 01.04.2020 से प्रारम्भ किया जाना सुनिश्चित करें। मा0 एन0जी0टी0 द्वारा उक्त समयावधि के उल्लंघन की स्थिति में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपण की दरें मासिक निर्धारित की गई हैं। मा0 एन0जी0टी0 द्वारा निर्धारित टाइम लाइन में परियोजनाओं को पूर्ण नही किये जाने के दृष्टिगत उत्तरदायी अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने के निर्देश भी दिये गये हैं।

मा0 एन0जी0टी0 द्वारा जारी निर्देशों के अनुपालन में उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दोषी नगर निगम/नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत के विरूद्ध पत्र दिनांक 07.07.2020 द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा–5 के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किये गये हैं।

मा0 एन0जी0टी0 द्वारा जारी निर्देशों के अनुपालन में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा Thematic Areas पर तृतीय त्रैमासिक रिपोर्ट ई–मेल के माध्यम से मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में प्रस्तुत करते हुए एक प्रति केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रेषित की जा चुकी है। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्र दिनांक 17.11.2020 द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन, सीवेज प्रबन्धन, रिवर रिजुविनेशन कमेटी एवं नान अटेन्मेन्ट सिटिज के सम्बन्ध में Revised Format पर सूचना दिनांक 30.11.2020 तक केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रेषित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है, जो कि नगर विकास विभाग द्वारा प्रस्तुत की जानी है।

बैठक में विचार–विमर्श के उपरान्त निम्न निर्णय लिये गये–

1– मा0 एन0जी0टी0 द्वारा निर्धारित की गई पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के सम्बन्ध में नगर विकास विभाग द्वारा मा0 एन0जी0टी0 में उक्त पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति पर पुनर्विचार आवेदन प्रस्तुत किये जाने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही की जाए।

(कार्यवाही– प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग)

2– केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्र दिनांक 17.11.2020 द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन, सीवेज प्रबन्धन, रिवर रिजुविनेशन कमेटी एवं नान अटेन्मेन्ट सिटिज के सम्बन्ध में Revised Format पर सूचना 01 सप्ताह के अन्दर उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रेषित की जाए।

(कार्यवाही– अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, नगर विकास/आवास एवं शहरी नियोजन/परिवहन/लोक निर्माण/नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति/सिंचाई एवं जल संसाधन/गृह/अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग एवं प्रबंध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम)

3– प्रदेश में लीगेसी वेस्ट के जी0आई0एस0 मैपिंग एवं आंकलन तथा लीगेसी वेस्ट स्थल पर भूगर्भीय जल का अनुश्रवण कराते सूचना उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(कार्यवाही– अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग)

4– मा0 एन0जी0टी0 द्वारा जारी निर्देशों के अनुपालन में Thematic Areas पर माह दिसम्बर, 2020 तक की प्रगति संबंधी सूचनाएं अद्यतन करते हुए दिनांक 07.01.2021 तक पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को ई–मेल आई डी–(soenvups@rediffmail.com) तथा उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को ई–मेल आई डी–(ms@uppcb.com) पर प्रेषित की जाए।

(कार्यवाही– अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, नगर विकास /ग्राम्य विकास/ सिंचाई एवं जल संसाधन/अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास/आवास एवं शहरी नियोजन/गृह/लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल विभाग/सिंचाई एवं जल संसाधन/नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग)

10. **ओ0ए0 सं0 – 593/2017 पर्यावरण सुरक्षा बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया–**

सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अवगत कराया गया कि इस प्रकरण में मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.05.2020 में निर्देशित है कि सीवेज के 100 प्रतिशत शोधन तथा शोधित उत्प्रवाह के प्रयोग हेतु बजट, वित्तीय प्रावधान प्रदर्शित करते हुए कार्ययोजना केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को 30.06.2020 तक प्रेषित की जानी थी, जिसके सम्बन्ध में मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश के पत्र दिनांक 05.06.2020 द्वारा नगर विकास विभाग को समयबद्ध कार्यवाही के लिए निर्देश भी जारी किये गये थे। मा0 अधिकरण द्वारा आदेश दिनांक 21.09.2020 में निर्देशित किया गया है कि सीवेज के 100 प्रतिशत शोधन एवं शोधित उत्प्रवाह के पुनः प्रयोग हेतु तैयार किये गये ऐक्शन प्लान के अनुपालन की स्थिति समय≤ पर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रेषित की जानी है।

सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अवगत कराया गया कि मा0 एन0जी0टी0 द्वारा उपरोक्त आदेश में दिनांक 01.07.2020 तक 100 प्रतिशत सीवेज शोधन हेतु इनसिटु रेमिडियेशन कार्य किये जाने, एस0टी0पी0 स्थापना प्रारम्भ किये जाने एवं समस्त ड्रेन्स को एस0टी0पी0 से जोड़े जाने के निर्देश दिये गये है तथा उल्लंघन की दशा में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपण की मासिक दर निर्धारित की गई है।

बैठक में निर्णय लिया गया कि नगर विकास विभाग द्वारा मा0 एन0जी0टी0 के उपरोक्त आदेशों में निर्धारित की गई पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति पर औचित्य सहित पुनर्विचार किये जाने तथा सीवेज शोधन एवं शोधित सीवेज के पुनः प्रयोग हेतु ऐक्शन प्लान तैयार कर मा0 अधिकरण मे शीघ्र दाखिल कर उसकी प्रति पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग एवं उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को उपलब्ध करायी जाय।

(कार्यवाही – अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, नगर विकास, सिंचाई एवं जल संसाधन, प्रबंध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम)

11. **ओ0ए0 सं0 – 621/2018 महेन्द्र पाण्डेय बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य :**

सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अवगत कराया गया कि यह प्रकरण जनपद मुरादाबाद में रामगंगा नदी के तट पर पूर्व में अवैध रूप से स्थापित ई–वेस्ट प्रोसेसिंग इकाईयों द्वारा प्रोसेसिंग से जनित अपशिष्ट (ब्लैक पाउडर) के निस्तारण के सम्बन्ध में है। उक्त ब्लैक पाउडर को रामगंगा नदी के तट से हटा कर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की गाईडलाइन के अनुसार जनपद–मुरादाबाद में ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन साइट पर अस्थायी रूप से भण्डारित किया गया है। उक्त अस्थायी भण्डारित अपशिष्ट के अन्तिम निस्तारण हेतु ब्लैक पाउडर को वेस्ट प्रोसेसिंग साइट से जनपद अमरोहा में प्रस्तावित Treatment, Storage and Disposal Facility (TSDF) में प्रेषित किया जाना है। उक्त प्रस्तावित टी0एस0डी0एफ0 का संचालन माह फरवरी, 2021 में प्रस्तावित है।

सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अवगत कराया गया कि राज्य द्वारा की गई कार्यवाही को संकलित करते हुए मा0 अधिकरण में कृत कार्यवाही की आख्या प्रेषित की जा चुकी है। सिंचाई विभाग, मुरादाबाद द्वारा उक्त ब्लैक पाउडर को अस्थायी भण्डारित स्थल से जनपद अमरोहा में प्रस्तावित टी0एस0डी0एफ0 तक ले जाने हेतु आने वाले व्यय का आंकलन लगभग रू 96 लाख आंकलित किया गया है।

सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अवगत कराया गया कि ब्लैक पाउडर के निस्तारण हेतु पूर्व में मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में आहूत बैठक

दिनांक 26.09.2018 में निम्न 04 विकल्पों पर विचार–विमर्श किया गया :–

विकल्प 1	जिलाधिकारी मुरादाबाद द्वारा ग्राम फाजलपुर, तहसील सदर मुरादाबाद में चिन्हित 5.5 एकड़ भूमि पर Secured Landfill Site का निर्माण कर रामगंगा नदी के तट पर निस्तारित ब्लैक पाउडर को निस्तारित किया जाना।
विकल्प 2	नगर निगम, मुरादाबाद द्वारा पूर्व में विकसित लैंडफिल साइट में अस्थायी रूप से ब्लैक पाउडर का सुरक्षित भण्डारण किया जाना।
विकल्प 3	ब्लैक पाउडर का निस्तारण प्राधिकृत टी0एस0डी0एफ0 से कराया जाना।
विकल्प 4	अमरोहा उत्तर प्रदेश में प्रस्तावित टी0एस0डी0एफ0-के संचालन के उपरांत ब्लैक पाउडर का स्थाई निस्तारण।

उक्त बैठक दिनांक 26.09.2018 में विचार–विमर्श के उपरान्त विकल्प सं0–1, 2, 3 पर वैज्ञानिक/वाणिज्यिक फिजीबिलिटी न होने के दृष्टिगत मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा उक्त ब्लैक पाउडर का निस्तारण जनपद अमरोहा में प्रस्तावित टी0एस0डी0एफ0 के माध्यम से कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

अद्यतन बैठक दिनांक 02.12.2020 में विचार–विमर्श के उपरान्त निम्न निर्णय लिये गये :–

1– जिलाधिकारी, मुरादाबाद द्वारा उक्त कार्यवाही हेतु उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सिंचाई विभाग, नगर निगम एवं अन्य संबंधित विभागों की एक अंतर्विभागीय समिति बनाकर अस्थायी रूप से भण्डारित ब्लैक पाउडर को स्थल पर ही मानको के अनुरूप निस्तारित किये जाने के सम्बन्ध में वित्तीय एवं तकनीकी आंकलन करते हुए आख्या 10 दिन के अन्दर प्रस्तुत की जाए।

(कार्यवाही – जिलाधिकारी, मुरादाबाद)

2– पूर्व में रामगंगा नदी के तट पर ब्लैक पाउडर निस्तारित करने वाले दोषियों की पहचान किये जाने हेतु जिलाधिकारी, मुरादाबाद, सिंचाई विभाग मुरादाबाद, नगर निगम मुरादाबाद, महाप्रबंधक ,जिला उद्योग केन्द्र एवं क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद की संयुक्त समिति द्वारा 10 दिन के अन्दर की जाए।

(कार्यवाही – जिलाधिकारी, मुरादाबाद, सिंचाई विभाग, मुरादाबाद, नगर निगम, मुरादाबाद एवं क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद)

3– सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग द्वारा उक्त ब्लैक पाउडर के परिवहन एवं मानकों के अनुरूप निस्तारण में होने वाले व्यय का आंकलन करते हुए रिपोर्ट 10 दिन के अन्दर प्रस्तुत की जाए तथा आवश्यक धनराशि की व्यवस्था की कार्यवाही की जाय।

(कार्यवाही – प्रमुख सचिव, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग)

4– उक्त ब्लैक पाउडर का सुरक्षित स्थायी निस्तारण किये जाने हेतु प्रस्तावित व्यय का वहन बॉड ओनर्स के Extended Producer Responsibility के अंर्तगत कराये जाने की सम्भावना के परीक्षण हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को पत्र प्रेषित किया जाए।

(कार्यवाही – सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड)

12 <u>ओ0ए0 संख्या–681/2018</u> News item published in "The Times of India" Authored by Shri Vishwa Mohan titled "NCAP with multiple timelines to clean air in 102 cities to be released around August 15"

1– बैठक में उ0प्र0 राज्य के अंतर्गत नॉन अटेनमेंट शहरों में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु लागू कार्ययोजनाओं के अंर्तगत विभिन्न कार्यो की प्रगति एवं

मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन की स्थिति की समीक्षा की गयी। सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अवगत कराया गया कि प्रदेश में चिन्हित 15 नॉन अटेंमेंट शहरों में वायु प्रदूषण नियंत्रण की कार्ययोजनाओं का कियान्वयन कराया जा रहा है। उक्त के अतिरिक्त अन्य दो शहरों यथा मेरठ एवं गोरखपुर को भी नॉन अटेनमेंट शहरों के रूप में चिन्हित किया गया है। मेरठ की कार्ययोजना का निरूपण कर उसे अनुमोदनार्थ केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जा चुका है तथा गोरखपुर की कार्ययोजना का निरूपण का कार्य वर्तमान में उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जिला पर्यावरण समिति, गोरखपुर से सूचनायें इत्यादि प्राप्त कर किया जा रहा है। उक्त के अतिरिक्त बैठक में मा0 एन0जी0टी0 के आदेश दिनांक 21.08.2020 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन की स्थिति की समीक्षा की गयी तथा निम्न निर्णय लिये गयेः–

1– गोरखपुर की वायु प्रदूषण नियंत्रण योजना के निरूपण हेतु समस्त वांछित सूचनाये एक सप्ताह के अंतर्गत उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को उपलब्ध करा दी जाय।

(कार्यवाही – जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पर्यावरण समिति, गोरखपुर)

2– वायु प्रदूषण से संबंधित शिकायतों के निवारण हेतु विकसित समीर एप एवं स्वच्छ वायु एप पर प्राप्त शिकायतों से संबंधित विभागों द्वारा 01 सप्ताह के अन्दर शिकायतों का निस्तारण करते हुए आख्या प्रेषित की जाय।

(कार्यवाही– नगर आयुक्त, गाजियाबाद, सी0ई0ओ0,नोएडा एथॉरिटी, जिलाधिकारी, गाजियाबाद एंव क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद, नोएडा एवं मेरठ)

3– लीगेसी वेस्ट का निस्तारण एवं उ0प्र0 में लीगेसी वेस्ट की जी0आई0एस0 मैपिंग का कार्य प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित कराते हुए अनुपालन सूचना पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग एवं उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को एक सप्ताह में प्रेषित किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(कार्यवाही – प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग)

4– बैठक के दौरान 500 से अधिक ए0क्यू0आई0 आने की दशा में पर्यावरणीय इमरजेंसी को आपदा के रूप में सम्मिलित कर इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम विकसित किये जाने हेतु राज्य आपदा प्रबधंन प्राधिकरण द्वारा इस संबंध में राष्ट्रीय आपदा प्रबधंन प्राधिकरण एवं पर्यावरण, वन एवं जल वायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार से भी दिशा–निर्देश प्राप्त कर मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा जारी निर्देशों के अनुपालन हेतु कार्यवाही की जाय तथा आपदा की स्थिति में की जाने वाली कार्यवाही की सूचना पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग एवं उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को एक सप्ताह में प्रेषित की जाय।

(कार्यवाही–मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण)

5– मा0 एन0जी0टी0 के आदेश दिनांक 21.08.2020 के द्वारा निर्देश दिये गये कि ओवरसाइट समिति की संस्तुतियों का अनुपालन संबंधित विभागों से सुनिश्चित कराया जाये। इस संबंध में सभी संबंधित विभागों को ओवरसाइट समिति की रिर्पोट के बिंदुओं पर अनुपालन आख्या 01 सप्ताह के अन्दर पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग एवं उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया।

6– माननीय एन0जी0टी0 के आदेशानुसार ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण की कार्ययोजना के संबंध में गृह विभाग पूर्व में दिये गये निर्देशानुसार परिवहन विभाग से समन्वय स्थापित कर कार्ययोजना तैयार करें तथा विलम्बतम दिनांक 15.12.2020 तक पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग एवं उ0प्र0 प्रदूषण

नियंत्रण बोर्ड को उपलब्ध करायें।

(कार्यवाही — अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, गृह एवं परिवहन विभाग)

3— उक्त के अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय द्वारा समस्त वादों के संबंध में निम्न कार्यवाही के भी निर्देश दिये गये :—

1— उक्त समस्त वादो में सभी संबंधित विभागों द्वारा मा0 एन0जी0टी0 द्वारा निर्धारित टाइमलाईन के अनुसार कार्यवाही करते हुए अनुपालन सूचना पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 शासन को ई—मेल soenvups@rediffmail.com एवं उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को ई—मेल ms@uppcb.com पर दिनांक 15.12.2020 तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायी जाय।

2— जिन कार्यों में टाइमलाईन के अंतर्गत कार्यवाही नहीं हुयी है तथा उनमें यदि अनुचित विलम्ब हुआ है तो दोषी अधिकारियों को चिन्हित कर उनके विरूद्ध कार्यवाही कर अनुपालन आख्या मा0 एन0जी0टी0 में दाखिल कर उसकी प्रति पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 शासन को ई—मेल soenvups@rediffmail.com एवं उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को ई—मेल ms@uppcb.com पर उपलब्ध करायी जाय।

3— जिन कार्यों में विलम्ब औचित्यपूर्ण है उनमें औचित्य के साथ टाइमलाईन एक्सटेंशन एवं पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की माफी हेतु प्रार्थना पत्र मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में दाखिल करायें तथा उसकी प्रभावी पैरवी सुनिश्चित कर उचित आदेश प्राप्त किया जाय।

4— सभी संबंधित विभागों द्वारा या तो मा0 एन0जी0टी0 के आदेशों का समयबद्ध अनुपालन करें, और यदि विभाग को आदेश के अनुपालन में कोई कठिनाई हो तो मा0 एन0जी0टी0 अथवा सक्षम न्यायालय के समक्ष अनुरोध करके आदेशों में आवश्यक संशोधन करा लें।

अन्त में बैठक धन्यवाद ज्ञापन के साथ सम्पन्न हुई।

Digitally signed by सुधीर गर्ग
Date:Fri Dec 11 11:29:29 IST 2020
Reason: Approved

(सुधीर गर्ग)

प्रमुख सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग—7

संख्या— NGT-645/81—7—2020—44(रिट)/2016 टी.सी.—2

लखनऊ : दिनांक : 11 दिसम्बर, 2020

प्रतिलिपि—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1— अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, नगर विकास/अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास/सिंचाई एवं जल संसाधन/कृषि/पंचायती राज/चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण/ग्राम्य विकास/ऊर्जा/परिवहन/लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल/आवास एवं शहरी नियोजन/खाद्य एवं रसद/नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति/सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम निर्यात प्रोत्साहन/ भूतत्व एवं खनिकर्म/लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।

File No.81-7005(099)/245/2020-07-,

2– प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उ0प्र0।

3– जिलाधिकारी, कानपुर नगर/कानपुर देहात/मुरादाबाद/गाजियाबाद/अयोध्या।

4– मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीसीडा, कानपुर।

5– प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।

6– निदेशक, उद्योग, उ0प्र0 कानपुर।

7– सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

8– मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नोएडा (गौतमबुद्ध नगर)।

9– स्टॉफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।

10– निजी सचिव, प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 शासन।

11– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(भारत प्रसाद)

अनु सचिव।

15-

Annexure-3

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 संख्या–985/2019 विद 986/2019 में पारित आदेश दिनांक 16.07.2020 के अनुपालन की समीक्षा हेतु मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में दिनांक 28.01.2021 को सम्पन्न बैठक का कार्यवृत्त।

बैठक में सम्बंधित विभागों के अधिकारियों द्वारा भाग लिया गया। बैठक में उपस्थित अधिकारीगण की सूची संलग्न है।

बैठक में ओ0ए0 संख्या 985/2019 विद 986/2019 के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक 16.07.2020 एवं ओवरसाइट कमेटी द्वारा की गयी समीक्षा के उपरान्त दिये गये निर्देशों के कम में सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा विभिन्न विभागों द्वारा कृत कार्यवाही का अद्यतन स्टेटस एवं अग्रेतर अपेक्षित कार्यवाही का प्रस्तुतिकरण किया गया।

खानचन्दपुर, रनियॉ, कानपुर देहात में भण्डारित अवैध कोमियम डम्प के निस्तारण हेतु उत्तरदायी यूपीसीडा द्वारा अवगत कराया गया कि उनके द्वारा तीन बार टेण्डर आमंत्रित किये गये। परन्तु तीनो बार एक ही निविदा प्राप्त हुई तथा उसमें सूचित भण्डारित अवैध कोमियम डम्प के निस्तारण की लागत अनुमानित लागत के सापेक्ष काफी अधिक पाये जाने के कारण टेण्डर को निरस्त कर दिया गया। वर्तमान में आई0आई0टी0, कानपुर से खानचन्दपुर रनियॉ कानपुर देहात में भण्डारित कोमियम वेस्ट का परीक्षण कर निस्तारण हेतु तकनीकी, अनुमानित लागत एवं निस्तारण हेतु रोडमैप सहित टेण्डर की शर्तो के सम्बंध में सुझाव आमंत्रित किये गये हैं, जिससे उनको सम्मिलित करते हुए पुनः निविदा आमंत्रित कर अग्रिम कार्यवाही की जा सके। अपर मुख्य सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग द्वारा सुझाव दिया गया कि आई0आई0टी0 कानपुर से तकनीकी, अनुमानित लागत एवं निस्तारण हेतु रोडमैप सहित टेण्डर की शर्तों के सम्बंध में समन्वय कर शीघ्र प्रस्ताव प्राप्त कर लिये जायें तथा तकनीकी समिति के माध्यम से विचार विमर्श कर अन्तिम निर्णय लेते हुए शीघ्र निविदा आमंत्रित कर कोमियम वेस्ट को हटाने का कार्य शीघ्र पूर्ण करा लिया जाये।

प्रमुख सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा तकनीकी समिति के समक्ष आई0आई0टी0 कानपुर द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने पर औद्योगिक विकास विभाग के सचिव स्तर से सहअध्यक्षता करते हुए प्रकरण पर शीघ्र निर्णय लेकर कोमियम वेस्ट के प्रभावी निस्तारण की कार्यवाही सुनिश्चित करा ली जाये।

सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अवगत कराया गया कि कोमियम वेस्ट के निस्तारण एवं भूगर्भीय जलगुणता में सुधार हेतु आवश्यक धनराशि को 6 दोषी उद्योगों के विरूद्ध रूपये 280.01 करोड़ की पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल के आधार पर अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के माध्यम से ऐस्को एकाउण्ट में जमा कराया जाना था। परन्तु मा0 एन0जी0टी0 द्वारा दिनांक 04.01.2021 को पारित आदेश द्वारा सम्बंधित उद्योगों द्वारा दायर अपील की सुनवाई उपरान्त अगले आदेशों तक पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की वसूली पर रोक लगा दी गयी है। उद्योगों से प्रत्यावेदन प्राप्त कर उनके निस्तारण उपरान्त दोषी उद्योगों के विरूद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति वसूली की कार्यवाही की जायेगी।

सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अवगत कराया गया कि खानचन्दपुर रनियॉ, कानपुर देहात एवं राखीमण्डी कानपुर में प्रभावित क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल की आपूर्ति पाइपलाइन के माध्यम से प्रारम्भ की जा चुकी है।

स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रभावित क्षेत्र में 02 हेल्थ कैम्प आयोजित किये गये थे, प्रारम्भिक हेल्थ सर्वे रिपोर्ट के अनुसार आयोजित किये गये हेल्थ कैम्प में आने वाले मरीजों में पायी जाने वाली बीमारियों का सम्बंध क्रोमियम डम्प से सम्भावित दुष्प्रभावों से होना सिद्ध नहीं हो पाया है। स्वास्थ्य विभाग के उपस्थित प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि कोविड–19 के कारण एस0जी0पी0जी0आई0 के चिकित्सा अधीक्षक डा0 हर्षवर्धन की अध्यक्षता में गठित चिकित्सकीय टीम की अन्तिम सर्वे रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हो सकी है।

ओ0ए0 संख्या 986/2019 के अन्तर्गत मा0 एन0जी0टी0 द्वारा उ0प्र0 जल निगम पर अशुद्धिकृत सीवेज गंगा नदी में प्रवाहित करने के कारण रूपये 1.0 करोड़ की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की गयी है, जिसे उ0प्र0 जल निगम द्वारा जमा नहीं किया गया है। उ0प्र0 जल निगम के उपस्थित प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि उ0प्र0 जल निगम द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रूपये 1.0 करोड़ के विरूद्ध मा0 सर्वोच्च न्यायालय में याचिका सं0 सिविल अपील –002924–002925 /2020 (डायरी सं0–4835/2020) दायर की गयी है। उक्त वाद की पिछली सुनवाई दिनांक 12.01. 2021 को हुई है जिसमें इस वाद को सिविल अपील नं0 988–989/2020 के साथ टैग करने का आदेश मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा जारी किया गया है।

2– अतः बैठक में सर्वसम्मति से निम्न कार्यवाही किये जाने के निर्णय लिये गये –

1– यूपीसीडा द्वारा आई0आई0टी0 कानपुर से समन्वय कर क्रोमियम वेस्ट के निस्तारण हेतु तकनीकी, लागत, रोडमैप एवं निविदा शर्तों सम्बंधी रिपोर्ट प्राप्त की जाये। अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परितर्वन विभाग के सचिवों की संयुक्त अध्यक्षता में, गठित तकनीकी समिति के माध्यम से प्रकरण में अग्रेतर कार्यवाही हेतु परामर्श प्राप्त कर यूपीसीडा द्वारा शीघ्र टेण्डर आमंमित किये जाने की कार्यवाही की जाये।

(कार्यवाही–अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग/ यूपीसीडा)

2– स्वास्थ्य विभाग को निर्देशित किया गया कि किये गये सर्वे के आधार पर अन्तिम रिपोर्ट विलम्बतम एक माह में पर्यावरण विभाग एवं उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को उपलब्ध करायी जाये।

(कार्यवाही–चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग)

3– मा0 एन0जी0टी0 के आदेश दिनांक 04.01.2021 के अनुपालन में उद्योगों के प्रत्यावेदनों का निस्तारण कर दोषी उद्योगों के विरूद्ध अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की वसूली करवाने हेतु शीघ्र आवश्यक कार्यवाही की जाये, जिससे वांछित धनराशि एस्को एकाउण्ट में जमा कर क्रोमियम वेस्ट को

टी0एस0डी0एफ0 के माध्यम से निस्तारण एवं प्रभावित क्षेत्र की भूगर्भीय जलगुणता के रेमिडियेशन का कार्य शीघ्र पूर्ण किया जा सके।

(कार्यवाही–उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जिलाधिकारी, कानपुर,/कानपुर देहात)

4– नगर विकास विभाग एवं उ0प्र0 जल निगम को निर्देशित किया गया कि मा0 एन0जी0टी0 द्वारा अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति से छूट हेतु औचित्य दिखाते हुए मा0 सर्वोच्च न्यायालय में प्रभावी पैरवी की जाये।

(कार्यवाही–उ0प्र0 जल निगम)

सधन्यवाद के साथ बैठक समाप्त की गयी।

सुधीर गर्ग
प्रमुख सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–7
संख्या–NGT-47/81–7–2021–44(रिट)/2016 टी.सी.–2
लखनऊ : दिनांक : 29 जनवरी, 2021

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, नगर विकास/अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास/चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन।
2– जिलाधिकारी, कानपुर नगर/कानपुर देहात।
3– मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीसीडा, कानपुर।
4– प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
5– सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
6– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(भारत प्रसाद)
अनु सचिव।

Annexure - 4

क्षेत्रीय कार्यालय

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

844, फतेहपुर रोसनाई, रनियाँ,
कानपुर देहात

पत्रांक 1831/V-2/20 दिनांक 28/05/20

सेवा में,

मै0 वारिस केमिकल्स प्रा0लि0,
उमरन, रनियाँ,
कानपुर देहात।

विषयः— मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 संख्या–21/2020 वारिस केमिकल्स प्रा0लि0, बनाम उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व अन्य में पारित आदेश दिनांक 28.01.2020 के अनुपालन में मै0 वारिस केमिकल्स, द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदन दिनांक 10.02.2020 के निस्तारण के सम्बंध में।

राज्य बोर्ड द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा ओ0ए0 संख्या– 985/2019 एवं 986/2019 में पारित आदेश दिनांक 27.09.2019 के अनुपालन में संयुक्त समिति की संस्तुति के क्रम में उद्योग मैसर्स वारिस केमिकल्स प्रा0लि0, उमरन रनियाँ, कानपुर देहात पर रूपये 46,67,80,837.50/— की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने का आदेश पारित किया गया, जिसे मैसर्स वारिस केमिकल्स प्रा0लि0 द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में ओ0ए0 संख्या– 21/2020 में चुनौती दी गयी। जिसमें मा0 अधिकरण द्वारा आदेश पारित किया गया कि "......Without expressing any opinion on merits, we direct that the impugned orders may be treated as a proposal with reference to which the applicants may furnish their response to the UP State PCB within two weeks. The UP State PCB may consider the objections of the applicants and pass an appropriate order within four weeks thereafter dealing with the matter on merits, in accordance with law......"

उपरोक्त आदेश के अनुपालन में प्रत्यावेदनकर्ता मैसर्स वारिस केमिकल्स प्रा0लि0 द्वारा दिनांक 10.02.2020 को प्रत्यावेदन के माध्यम से बोर्ड के पत्र/प्रस्ताव दिनांक 19.11.2019 के विरूद्ध आपत्ति प्रस्तुत की गयी। प्रत्यावेदनकर्ता का संक्षिप्त कथन है कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा ओ0ए0 संख्या–985–986/2019 में पारित आदेश दिनांक 27.09.2019 में मा0 अधिकरण द्वारा किसी विशिष्ट व्यक्ति के उत्तरदायित्व का निर्धारण नहीं किया गया है एवं प्रत्यावेदनकर्ता ओ0ए0 संख्या–985–986/2019 में पक्षकार नहीं है, जिसके कारण उसके तथ्यों से वह परिचित नहीं है। प्रस्ताव दिनांक 19.11.2019 सम्बंधित व्यक्ति के संज्ञान में लाये बिना जारी किया गया है। वर्ष 1976 से क्रोमियम का उचित भण्डारण न होने के कारण मा0 अधिकरण द्वारा ओ0ए0 संख्या 985–986/2019 एवं ओ0ए0 संख्या 200/2014 में विभिन्न आदेश पारित किये गये। प्रत्यावेदनकर्ता द्वारा अपना उद्योग वर्ष 26.04.1993 में स्थापित किया गया जिसका संचालन 05.09.1994 से प्रारम्भ किया गया एवं दिनांक 07.02.2005 से बन्द कर दिया गया। प्रस्ताव दिनांक 19.11.2019 में वर्णित संयुक्त समिति की संस्तुति, नोटिस दिनांक 24.10.2019, स्टेट रिव्यू कमेटी की प्रोसीडिंग दिनांक 17.10.2019, क्षेत्रीय अधिकारी का पत्र दिनांक 22.10.2019 की प्रति प्रत्यावेदनकर्ता को प्राप्त नहीं कराया गया एवं उसे कोई भी अवसर प्रदान नहीं किया गया एवं उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा एक पक्षीय आदेश पारित किया गया है। पूर्व प्रस्ताव दिनांक 01.04.2009 द्वारा प्रत्यावेदनकर्ता उद्योग पर लगभग 45000 मी0टन क्रोमियम वेस्ट के आधार पर जुर्माना लगाया जाना प्रस्तावित था। उद्योग वर्ष 2005 से बन्द है, वर्ष 2019 में उक्त हैजार्डस की मात्रा 62225 एम0टी0 दर्शाया जाना स्वयं में उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के कृत की वास्तविकता को दर्शाता है। बोर्ड द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित करने की शक्ति राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 के अर्न्तगत मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण को है।

–2–

ई द्वारा बिना अधिकारिता के कथित क्षतिपूर्ति पूर्वाग्रहण से ग्रसित होकर अधिरोपित की गयी है एवं यावेदनकर्ता को क्षतिपूर्ति अधिरोपित करने से पूर्व सुनवाई का अवसर भी प्रदान नही किया गया है।

इस सम्बंध में अवगत कराना है कि बोर्ड द्वारा दिनांक 19.11.2019 को पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित रने से पूर्व प्रश्नगत् उद्योग को क्षेत्रीय कार्यालय, कानपुर देहात के पत्रांक 1517 / आर–130 / 2019 दिनांक 24.).2019 द्वारा कारण बताओ नोटिस प्रेषित किया गया था, जिसमें प्रस्तावित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित क्ये जाने का तथ्य अंकित है तथा 15 दिन में उद्योग को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु समय दिया गया था।

इससे पूर्व वर्ष–2009 में भी खानचन्दपुर रनियां, कानपुर देहात में परिसंकटमय अपशिष्ट जनित करने ाले प्रश्नगत् उद्योग सहित कुल 06 उद्योगों द्वारा अवैध रूप से भण्डारित परिसंकटमय अपशिष्ट की अनुमानित ात्रा 45,000 मी0टन के उचित निस्तारण हेतु जुर्माना अधिरोपित किये जाने का प्रस्ताव सक्षम प्राधिकारी को ोषित किया गया था। किन्तु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा परिसंकटमय अपशिष्ट के रेमिडिएशन हेतु अपने त्र सं0 B-29016/56(1)WM-I/NCEF(4)/2018/10340 दिनांक 31-03-2018 के माध्यम से प्रेषित Detailed Project (DPR) for Remediation of Chromium contaminated area at Rania, Kanpur Dehat, UP under National Clean Energy Fund (NCEF) के अनुसार प्रश्नगत क्षेत्र में अनियंत्रित रूप से भण्डारित क्रोमियम वेस्ट की मात्रा लगभग 62,225 मी0टन आंकलित की गयी है।

क्षेत्रीय कार्यालय, कानपुर देहात द्वारा रनियाँ, कानपुर देहात के अन्तर्गत ग्राम–खानचन्दपुर, उमरन, फतेहपुर रोशनाई के आर्यनगर, राजेन्द्र नगर चौराहा एवं ग्राम–चिरौरा का भूगर्भीय जल अवैध रूप से डम्प हैक्सावैलेन्ट क्रोमियम के कारण प्रदूषित हुआ पाया गया है। प्रश्नगत् उद्योग जिसकी उत्पादन क्षमता 3.5 मी0टन प्रतिदिन थी, के द्वारा उत्पादन अवधि के दौरान उद्योग से जनित हेक्सावेलेन्ट क्रोमियम युक्त परिसंकटमय अपशिष्ट को असुरक्षित ढंग से प्रश्नगत क्षेत्र में भण्डारित / डम्प किया गया। अवैध रूप से भण्डारित कुल परिसंकटमय अपशिष्ट 62,225 मी0टन में आपके उद्योग की उत्पादन क्षमता के अनुसार 16.67 प्रतिशत योगदान है।

प्रश्नगत् उद्योग की ओर से प्राप्त प्रत्यावेदन दिनांक 10.02.2020 में प्रत्यावेदनकर्ता द्वारा स्वयं यह स्वीकार्य किया गया है कि उनके द्वारा उक्त क्षेत्र में क्रोम कन्टेमिनेटेड वेस्ट जनित करने वाला उद्योग स्थापित व संचालित किया गया था एवं उक्त प्रत्यावेदन में इस तथ्य को स्पष्ट नहीं किया गया है कि उनके द्वारा जनित परिसंकटमय अपशिष्ट का निस्तारण किस प्रकार तथा कहां पर किया गया है तथा उक्त क्षेत्र में अवैध रूप से परिसंकटमय अपशिष्ट का निस्तारण नहीं किया गया है। खानचन्दपुर, रनियाँ क्षेत्र में कुल 06 क्रोम कन्टेमिनेटेड वेस्ट जनित करने वाले उद्योग स्थापित होना एवं उक्त क्षेत्र में अवैध रूप से परिसंकटमय अपशिष्ट भण्डारित होना विवाद रहित है जिसका आंकलन केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा तैयार करायी गयी डी0पी0आर0 में स्पष्ट रूप से किया गया है।

उद्योग द्वारा अपने प्रत्यावेदन के प्रस्तर 17 में वर्ष–2009 में भी अवैध परिसंकटमय अपशिष्ट हेतु जुर्माना अधिरोपित किये जाने का प्रस्ताव दिनांक 01.04.2009 का कथन किया गया है। उद्योग द्वारा अपने प्रत्यावेदन के प्रस्तर–17 में वर्ष – 2009 में भण्डारित क्रोमियम वेस्ट की अनुमानित मात्रा 45,000 मी0टन के आधार पर जुर्माना अधिरोपित करने का प्रस्ताव सूचित है जबकि वास्तव में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा परामर्शी के माध्यम से तैयार कराई गयी डी0पी0आर0 में उक्त भण्डारित क्रोमियम वेस्ट की मात्रा 62,225 मी0टन आंकलित है।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा ओ0ए0 सं0 200 / 2014 एम0सी0 मेहता बनाम भारत संघ में दिनांक 07.08.2019 को आदेश पारित किया गया कि "......Viii) Other directions including displaying water quality data in public domain and at prominent places, development of bio-diversity parks, prohibition of river bed mining, remediation of chromium dumpsites in Uttar Pradesh, collection of compensation from violators and involvement of society including religious, charitable, social and educational institutions for preventing and remedying pollution of River Ganga......"

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा उक्त आदेश के अतिरिक्त विभिन्न प्रकरणों में बोर्ड द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु निर्देश दिये गये है।

मा0 न्यायमूर्ति श्री अरुण टण्डन अध्यक्ष मॉनीटरिंग कमेटी द्वारा दिनांक 08.08.2019 को ओ0ए0 सं0 /2014 में पारित आदेश के अनुपालन की समीक्षा बैठक में निम्न निर्देश दिये गये हैं–

"It was directed that progress of removal of chromium from dump site at Rania be reported in the t meeting. The committee directed CPCB to issue notice for levy Environmental Compensation to the ıstries which have caused and are causing damage to the environment."

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 सं0–985/2019 एवं ओ0ए0 सं0 986/2019 में ांक 27.09.2019 को पारित आदेश के अनुपालन में मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में सम्पन्न बैठक ांक 17.10.2019 को समीक्षा के दौरान यह निर्देश दिये गये "जिन उद्योगों द्वारा अपना क्रोमियम वेस्ट उमरन, सेद्धपुर एवं ग्राम–खानचन्दपुर, जनपद कानपुर देहात में अवैध रूप से डम्प किया गया है, के विरूद्ध lluter Pays Principle के आधार पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर वसूली की कार्यवाही की जाये।" सका उल्लेख पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या एन0जी0टी0 5(2)/81–7–2019–44(रिट)/2016 टी0सी0 दिनांक 19.10.2019 द्वारा जारी कार्यवृत्त में किया गया है।

अतः केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नई दिल्ली द्वारा परिसंकटमय एवं अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन एवं ीमापार संचलन) नियम, 2016 के प्राविधानों के उल्लंघन में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति आंकलित किये जाने के संबंध जारी की गयी गाईडलाईन जो निम्नवत् है, को संज्ञान में लेते हुए मैसर्स वारिस केमिकल्स प्रा0लि0, उमरन, नियां, कानपुर देहात पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की गयी है ।

Environmental Compensation (EC) = Q x ERF x R

Where

Q is noticed or observed quantity (in tone) of hazardous or other wastes have not been managed in compliance with various peovision of the Acts/Rules/Guidelines/Conditions of the authorisation/direction issued by CPCB/SPCB/PCC/MoEF&CC (barring procedural violation which have not causaed environmental damage) ERF = Environmental Risk Factor which is a number (as given in Table 1 below) denoting the increasing degree of risk to the environmental and human health due to the scenarios as given in the table:-

S. No.	Violation	ERF	
		For hazardous Waste	For Other Waste*
1-	When hazardous and other wastes in disposed at unauthorized place or handed over or sold to unauthorized party.	1.5	0.3
2-	When treatment has not been imparted, as required, but only partial treatment has been given (TSDF/Actual user)	1.0	0.2
3-	When product (derived from hazardous or other waste) is not confirming to prescribed specification or is specified for restriced use but sold in open market against (in case of actual user)	1.0	0.2
4-	Wastes found stored beyond the stipulated period (refer Rule 8 of the HOWM Rules.2008)	0.1	0.05

R = Environmental Compensation factor, which may be taken as Rs. 30,000.

उपरोक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में प्रश्नगत उद्योग द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदन दिनांक 10.02.2020 के आधार पर रा दिनांक 19.11.2019 को प्रश्नगत उद्योग पर अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रूपये 46,67,80,837. (छियालिस करोड़, सढसठ लाख अस्सी हजार आठ सौ सैतीस रूपये पचास पैसे मात्र) में परिवर्तन अपास्त किये जाने का आधार नहीं है। अतः आपका प्रत्यावेदन दिनांक 10.02.2020 उपरोक्तानुसार रेत किया जाता है।

अतः निर्देशित किया जाता है कि उद्योग मैसर्स वारिस केमिकल्स प्रा०लि०, उगरन रनियां, कानपुर देहात] में अधिरोपित की गयी पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति 46,67,80,837.50/- (छियालिस करोड़, सढसठ लाख हजार आठ सौ सैतीस रूपये पचास पैसे मात्र) की धनराशि को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के, यूनियन ऑफ इण्डिया, विभव खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता सं0--701502010002104 फ0एस0 कोड--UBIN0570150 में अविलम्ब जमा करें एवं जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय लय एवं बोर्ड मुख्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

कृपया नोट करें कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का भुगतान प्राप्त न होने के स्थिति में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की हेतु भू-राजस्व की भांति वसूली की कार्यवाही की जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व उद्योग एवं के संचालन हेतु उत्तरदायी व्यक्तियों का होगा।

सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त निर्गत

क्षेत्रीय अधिकारी

लिपि:-- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
2. जिलाधिकारी कानपुर देहात।
3. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त--2), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
4. विधि अधिकारी, प्रथम उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. लेखाधिकारी प्रभारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस आशय से कि क्षतिपूर्ति मद में प्राप्त धनराशि का विवरण वृत्त--2 को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

क्षेत्रीय अधिकारी

Annexure - 5

क्षेत्रीय कार्यालय

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

644, फतेहपुर रोसनाई, रनियाँ,
कानपुर देहात

पत्रांक 1829/FES/A-96/20 दिनांक 28/05/20

सेवा में,

मै0 अमीलिहा टेक्सटाइल्स एण्ड केमिकल्स प्रा0लि0,
खानचन्दपुर रनियाँ, कानपुर देहात।
पंजीकृत कार्यालय–6/31–सी पार्वती बागला रोड, तिलक नगर,
कानपुर–208002

विषयः– मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 संख्या–19/2020 अमीलिहा टेक्सटाइल्स एण्ड केमिकल्स प्रा0लि0 बनाम उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व अन्य में पारित आदेश दिनांक 28.01.2020 के अनुपालन में मै0 अमीलिहा टेक्सटाइल्स एण्ड केमिकल्स प्रा0लि0, द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदन दिनांक 10.02.2020 के निस्तारण के सम्बंध में।

राज्य बोर्ड द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा ओ0ए0 संख्या– 985/2019 एवं 986/2019 में पारित आदेश दिनांक 27.09.2019 के अनुपालन में संयुक्त समिति की संस्तुति के क्रम में उद्योग मैसर्स अमीलिहा टेक्सटाइल्स एण्ड केमिकल्स प्रा0लि0, खानचन्दपुर रनियाँ, कानपुर देहात पर रूपये 39,98,57,850/– की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने का आदेश पारित किया गया, जिसे मैसर्स अमीलिहा टेक्सटाइल्स एण्ड केमिकल्स प्रा0लि0 द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में ओ0ए0 संख्या– 19/2020 में चुनौती दी गयी। जिसमें मा0 अधिकरण द्वारा आदेश पारित किया गया कि "......Without expressing any opinion on merits, we direct that the impugned orders may be treated as a proposal with reference to which the applicants may furnish their response to the UP State PCB within two weeks. The UP State PCB may consider the objections of the applicants and pass an appropriate order within four weeks thereafter dealing with the matter on merits, in accordance with law......"

उपरोक्त आदेश के अनुपालन में प्रत्यावेदनकर्ता मैसर्स अमीलिहा टेक्सटाइल्स एण्ड केमिकल्स प्रा0लि0 द्वारा दिनांक 10.02.2020 को प्रत्यावेदन के माध्यम से बोर्ड के पत्र/प्रस्ताव दिनांक 19.11.2019 के विरूद्ध आपत्ति प्रस्तुत की गयी। प्रत्यावेदनकर्ता का संक्षिप्त कथन है कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा ओ0ए0 संख्या–985–986/2019 में पारित आदेश दिनांक 27.09.2019 में मा0 अधिकरण द्वारा किसी विशिष्ट व्यक्ति के उत्तरदायित्व का निर्धारण नहीं किया गया है एवं प्रत्यावेदनकर्ता ओ0ए0 संख्या–985–986/2019 में पक्षकार नहीं है, जिसके कारण उसके तथ्यों से वह परिचित नहीं है। प्रस्ताव दिनांक 19.11.2019 सम्बंधित व्यक्ति के संज्ञान में लाये बिना जारी किया गया है। वर्ष 1976 से क्रोमियम का उचित भण्डारण न होने के कारण मा0 अधिकरण द्वारा ओ0ए0 संख्या 985–986/2019 एवं ओ0ए0 संख्या 200/2014 में विभिन्न आदेश पारित किये गये। प्रत्यावेदनकर्ता द्वारा अपना उद्योग दिनांक 03.08.1994 में स्थापित किया गया जिसका संचालन दिनांक 11.09.2001 से प्रारम्भ किया गया एवं 2005 में बन्द कर दिया गया। प्रस्ताव दिनांक 19.11.2019 में वर्णित संयुक्त समिति की संस्तुति, नोटिस दिनांक 24.10.2019, स्टेट रिव्यू कमेटी की प्रोसीडिंग दिनांक 17.10.2019, क्षेत्रीय अधिकारी का पत्र दिनांक 22.10.2019 की प्रति प्रत्यावेदनकर्ता को प्राप्त नहीं कराया गया एवं उसे कोई भी अवसर प्रदान नहीं किया गया एवं उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा एक पक्षीय आदेश पारित किया गया है। पूर्व प्रस्ताव दिनांक 01.04.2009 द्वारा, प्रत्यावेदनकर्ता उद्योग पर लगभग 45000 मी0टन क्रोमियम वेस्ट के आधार पर

–2–

जुर्माना लगाया जाना प्रस्तावित था। उद्योग वर्ष 2005 से बन्द है, वर्ष 2019 में उक्त हैजार्डस की मात्रा 62225 एम0टी0 दर्शाया जाना स्वयं में उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के कृत की वास्तविकता को दर्शाता है। बोर्ड द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित करने की शक्ति राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 के अर्न्तगत मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण को है। बोर्ड द्वारा बिना अधिकारिता के कथित क्षतिपूर्ति पूर्वाग्रहण से ग्रसित होकर अधिरोपित की गयी है एवं प्रत्यावेदनकर्ता को क्षतिपूर्ति अधिरोपित करने से पूर्व सुनवाई का अवसर भी प्रदान नही किया गया है।

इस सम्बंध में अवगत कराना है कि बोर्ड द्वारा दिनांक 19.11.2019 को पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित करने से पूर्व प्रश्नगत उद्योग को क्षेत्रीय कार्यालय, कानपुर देहात के पत्रांक 1519/आर–130/2019 दिनांक 24.10.2019 द्वारा कारण बताओ नोटिस प्रेषित किया गया था, जिसमें प्रस्तावित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने का तथ्य अंकित है तथा 15 दिन में उद्योग को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु समय दिया गया था।

इससे पूर्व वर्ष–2009 में भी खानचन्दपुर रनियां, कानपुर देहात में परिसंकटमय अपशिष्ट जनित करने वाले प्रश्नगत उद्योग सहित कुल 06 उद्योगों द्वारा अवैध रूप से भण्डारित परिसंकटमय अपशिष्ट की अनुमानित मात्रा 45,000 मी0टन के उचित निस्तारण हेतु जुर्माना अधिरोपित किये जाने का प्रस्ताव सक्षम प्राधिकारी को प्रेषित किया गया था। किन्तु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बार्ड द्वारा परिसंकटमय अपशिष्ट के रेमिडिएशन हेतु अपने पत्र सं0 B-29016/56(1)WM-I/NCEF(4)/2018/10340 दिनांक 31-03-2018 के माध्यम से प्रेषित Detailed Project (DPR) for Remediation of Chromium contaminated area at Rania, Kanpur Dehat, UP under National Clean Energy Fund (NCEF) के अनुसार प्रश्नगत क्षेत्र में अनियंत्रित रूप से भण्डारित क्रोमियम वेस्ट की मात्रा लगभग 62,225 मी0टन आंकलित की गयी है।

क्षेत्रीय कार्यालय, कानपुर देहात द्वारा रनियाँ, कानपुर देहात के अन्तर्गत ग्राम–खानचन्दपुर, उमरन, फतेहपुर रोशनाई के आर्यनगर, राजेन्द्र नगर चौराहा एवं ग्राम–चिरौरा का भूगर्भीय जल अवैध रूप से डम्प हैक्सावेलेन्ट क्रोमियम के कारण प्रदूषित हुआ पाया गया है। प्रश्नगत उद्योग जिसकी उत्पादन क्षमता 3.0 मी0टन प्रतिदिन थी, के द्वारा उत्पादन अवधि के दौरान उद्योग से जनित हेक्सावेलेन्ट क्रोमियम युक्त परिसंकटमय अपशिष्ट को असुरक्षित ढंग से प्रश्नगत क्षेत्र में भण्डारित/डम्प किया गया। अवैध रूप से भण्डारित कुल परिसंकटमय अपशिष्ट 62,225 मी0टन में आपके उद्योग की उत्पादन क्षमता के अनुसार 14.28 प्रतिशत योगदान है।

प्रश्नगत उद्योग की ओर से प्राप्त प्रत्यावेदन दिनांक 10.02.2020 में प्रत्यावेदनकर्ता द्वारा स्वयं यह स्वीकार्य किया गया है कि उनके द्वारा उक्त क्षेत्र में क्रोम कन्टेमिनेटेड वेस्ट जनित करने वाला उद्योग स्थापित व संचालित किया गया था एवं उक्त प्रत्यावेदन में इस तथ्य को स्पष्ट नहीं किया गया है कि उनके द्वारा जनित परिसंकटमय अपशिष्ट का निस्तारण किस प्रकार तथा कहां पर किया गया है तथा उक्त क्षेत्र में अवैध रूप से परिसंकटमय अपशिष्ट का निस्तारण नहीं किया गया है। खानचन्दपुर, रनियाँ क्षेत्र में कुल 06 क्रोम कन्टेमिनेटेड वेस्ट जनित करने वाले उद्योग स्थापित होना एवं उक्त क्षेत्र में अवैध रूप से परिसंकटमय अपशिष्ट भण्डारित होना विवाद रहित है जिसका आंकलन केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा तैयार करायी गयी डी0पी0आर0 में स्पष्ट रूप से किया गया है।

उद्योग द्वारा अपने प्रत्यावेदन के प्रस्तर 18 में वर्ष–2009 में भी अवैध परिसंकटमय अपशिष्ट हेतु जुर्माना अधिरोपित किये जाने का प्रस्ताव दिनांक 01.04.2009 का कथन किया गया है। उद्योग द्वारा अपने प्रत्यावेदन के प्रस्तर–18 में वर्ष – 2009 में भण्डारित क्रोमियम वेस्ट की अनुमानित मात्रा 45,000 मी0टन के आधार पर जुर्माना अधिरोपित करने का प्रस्ताव सूचित है जबकि वास्तव में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा परामर्शी के माध्यम से तैयार कराई गयी डी0पी0आर0 में उक्त भण्डारित क्रोमियम वेस्ट की मात्रा 62,225 मी0टन आंकलित है।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा ओ0ए0 सं0 200/2014 एम0सी0 मेहता बनाम भारत संघ में दिनांक 07.08.2019 को आदेश पारित किया गया कि "......Viii) Other directions including displaying water quality data in public domain and at prominent places, development of bio-diversity parks, prohibition of river bed mining, remediation of chromium dumpsites in Uttar Pradesh, collection of compensation from violators and involvement of society including religious, charitable, social and educational institutions for preventing and remedying pollution of River Ganga......"

मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा उक्त आदेश के अतिरिक्त विभिन्न प्रकरणों में, बोर्ड द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु निर्देश दिये गये है।

मा० न्यायमूर्ति श्री अरूण टण्डन अध्यक्ष मॉनीटरिंग कमेटी द्वारा दिनांक 08.08.2019 को ओ०ए० सं० 200/2014 में पारित आदेश के अनुपालन की समीक्षा बैठक में निम्न निर्देश दिये गये है:-

"It was directed that progress of removal of chromium from dump site at Rania be reported in the next meeting. The committee directed CPCB to issue notice for levy Environmental Compensation to the industries which have caused and are causing damage to the environment."

मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ०ए० सं०-985/2019 एवं ओ०ए० सं० 986/2019 में दिनांक 27.09.2019 को पारित आदेश के अनुपालन में मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन की अध्यक्षता में सम्पन्न बैठक दिनांक 17.10.2019 को समीक्षा के दौरान यह निर्देश दिये गये "जिन उद्योगों द्वारा अपना क्रोमियम वेस्ट खगरन, नसिहपुर एवं ग्राम-खानचन्द्रपुर, जनपद कानपुर देहात में अवैध रूप से डम्प किया गया है, के विरूद्ध Polluter Pays Principle के आधार पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर वसूली की कार्यवाही की जाये।" जिसका उल्लेख पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र० शासन के पत्र संख्या एन0जी0टी0 335(2)/81-7-2019-44(रिट)/2016 टी०सी० दिनांक 18.10.2019 द्वारा जारी कार्यवृत्त में किया गया है।

अतः केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नई दिल्ली द्वारा परिसंकटमय एवं अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन एवं सीमापार संचलन) नियम, 2016 के प्राविधानों के उल्लंघन में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति आंकलित किये जाने के संबंध में जारी की गयी गाईडलाईन जो निम्नवत् है, को संज्ञान में लेते हुए मैसर्स अभीलिहा टैक्सटाइल्स एण्ड केमिकल्स प्रा0लि0, खानचन्द्रपुर रनियां, कानपुर देहात पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की गयी है ।

Environmental Compensation (EC) = Q x ERF x R

Where

Q is noticed or observed quanitity (in tone) of hazardous or other wastes have not been managed in compliance with various peovision of the Acts/Rules/Guidelines/Conditions of the authorisation/direction issued by CPCB/SPCB/PCC/MoEF&CC (barring procedural violation which have not causaed environmental damage) ERF = Environmental Risk Factor which is a number (as given in Table 1 below) denoting the increasing degree of risk to the environmental and human health due to the scenarios as given in the table:-

S. No.	Violation	ERF	
		For hazardous Waste	For Other Waste*
	When hazardous and other wastes in disposed at unauthorized place or handed over or sold to unauthorized party.	1.5	0.3
	When treatment has not been imparted, as required, but only partial treatment has been given (TSDF/Actual user)	1.0	0.2
	When product (derived from hazardous or other waste) is not confirming to prescribed specification or is specified for restriced use but sold in open market against (in case of actual user)	1.0	0.2
	Wastes found stored beyond the stipulated period (refer Rule 8 of the HOWM Rules,2008)	0.1	0.05

= Environmental Compensation factor, which may be taken as Rs. 30,000.

उपरोक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में प्रश्नगत उद्योग द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदन दिनांक 10.02.2020 के आधार पर द्वारा दिनांक 19.11.2019 को प्रश्नगत उद्योग पर अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रूपये 39,98,57,850/- उन्तालिस करोड़ अट्ठानवे लाख सत्तावन हजार आठ सौ पचास मात्र) में परिवर्तन अथवा अपास्त किये का आधार नहीं है। अतः आपका प्रत्यावेदन दिनांक 10.02.2020 उपरोक्तानुसार निस्तारित किया जाता है।

अतः निर्देशित किया जाता है कि उद्योग **मैसर्स अमीलिहा टेक्सटाइल्स एण्ड केमिकल्स प्रा०लि०,** चन्द्रपुर रनियां, कानपुर देहात पर पूर्व में अधिरोपित की गयी पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रू० 39,98,57,850/- उन्तालिस करोड़ अट्ठानवे लाख सत्तावन हजार आठ सौ पचास मात्र) की धनराशि को उ०प्र० प्रदूषण त्रण बोर्ड के, यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभव खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता -701502010002104 आई०एफ०एस० कोड-UBIN0570150 में अविलम्ब जमा करें एवं जमा की गयी राशि का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय एवं बोर्ड मुख्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

कृपया नोट करें कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का भुगतान प्राप्त न होने के स्थिति में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की ली हेतु भू-राजस्व की भांति वसूली की कार्यवाही की जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व उद्योग एवं योग के संचालन हेतु उत्तरदायी व्यक्तियों का होगा।

सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त निर्गत

क्षेत्रीय अधिकारी

तिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. सदस्य सचिव, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
2. जिलाधिकारी कानपुर देहात।
3. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2), उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
4. विधि अधिकारी, प्रथम उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. लेखाधिकारी प्रभारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस आशय से कि क्षतिपूर्ति मद में प्राप्त धनराशि का विवरण वृत्त-2 को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

क्षेत्रीय अधिकारी

Annexure- 6

क्षेत्रीय कार्यालय
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
844, फतेहपुर रोसनाई, रनियाँ,
कानपुर देहात

पत्रांक 1832/C6/20 दिनांक 28/05/2020

सेवा में,

मै0 चांदनी केमिकल्स प्रा0लि0,
खानचन्दपुर रनियाँ, कानपुर देहात।
पंजीकृत कार्यालय--24--वाइ--1, देवकी नगर,
कानपुर--20811

विषयः-- मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 संख्या--18/2020 चांदनी केमिकल्स प्रा0लि0 बनाम उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व अन्य में पारित आदेश दिनांक 28.01.2020 के अनुपालन में मै0 चांदनी केमिकल्स प्रा0लि0 द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदन दिनांक 10.02.2020 के निस्तारण के सम्बंध में।

राज्य बोर्ड द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा ओ0ए0 संख्या-- 985/2019 एवं 986/2019 में पारित आदेश दिनांक 27.09.2019 के अनुपालन में संयुक्त समिति की संस्तुति के क्रम में उद्योग मैसर्स चांदनी केमिकल्स प्रा0लि0, खानचन्दपुर रनियाँ, कानपुर देहात पर रूपये 39,98,57,850/-- की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने का आदेश पारित किया गया, जिसे मैसर्स चांदनी केमिकल्स प्रा0लि0 द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में ओ0ए0 संख्या-- 18/2020 में चुनौती दी गयी। जिसमें मा0 अधिकरण द्वारा आदेश पारित किया गया कि "......Without expressing any opinion on merits, we direct that the impugned orders may be treated as a proposal with reference to which the applicants may furnish their response to the UP State PCB within two weeks. The UP State PCB may consider the objections of the applicants and pass an appropriate order within four weeks thereafter dealing with the matter on merits, in accordance with law......".

उपरोक्त आदेश के अनुपालन में प्रत्यावेदनकर्ता मै0 चांदनी केमिकल्स प्रा0लि0 द्वारा दिनांक 10.02.2020 को प्रत्यावेदन के माध्यम से बोर्ड के पत्र/प्रस्ताव दिनांक 19.11.2019 के विरूद्ध आपत्ति प्रस्तुत की गयी। प्रत्यावेदनकर्ता का संक्षिप्त कथन है कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा ओ0ए0 संख्या--985--986/2019 में पारित आदेश दिनांक 27.09.2019 में मा0 अधिकरण द्वारा किसी विशिष्ट व्यक्ति के उत्तरदायित्व का निर्धारण नहीं किया गया है एवं प्रत्यावेदनकर्ता ओ0ए0 संख्या--985--986/2019 में पक्षकार नहीं है, जिसके कारण उसके तथ्यों से वह परिचित नहीं है। प्रस्ताव दिनांक 19.11.2019 सम्बंधित व्यक्ति के संज्ञान में लाये बिना जारी किया गया है। वर्ष 1976 से क्रोमियम का उचित भण्डारण न होने के कारण मा0 अधिकरण द्वारा ओ0ए0 संख्या 985--986/2019 एवं ओ0ए0 संख्या 200/2014 में विभिन्न आदेश पारित किये गये। प्रत्यावेदनकर्ता द्वारा अपना उद्योग वर्ष 1994 में स्थापित किया गया जिसका संचालन 12.08.1999 से प्रारम्भ किया गया एवं 2005 में बन्द कर दिया गया। प्रस्ताव दिनांक 19.11.2019 में वर्णित संयुक्त समिति की संस्तुति, नोटिस दिनांक 24.10.2019, स्टेट रिव्यू कमेटी की प्रोसीडिंग दिनांक 17.10.2019, क्षेत्रीय अधिकारी का पत्र दिनांक 22.10.2019 की प्रति प्रत्यावेदनकर्ता को प्राप्त नहीं कराया गया एवं उसे कोई भी अवसर प्रदान नहीं किया गया एवं उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा एक पक्षीय आदेश पारित किया गया है। पूर्व प्रस्ताव दिनांक 01.04.2009 द्वारा प्रत्यावेदनकर्ता उद्योग पर लगभग 45000 मी0टन क्रोमियम वेस्ट के आधार पर जुर्माना लगाया जाना प्रस्तावित था। उद्योग वर्ष 2005 से बन्द है, वर्ष 2019 में उक्त हैजार्डस की मात्रा 62225 एम0टी0 दर्शाया जाना स्वयं में उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के कृत की वास्तविकता को दर्शाता है। बोर्ड द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित करने की शक्ति

--2--

राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 के अन्तर्गत मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण को है। बोर्ड द्वारा बिना अधिकारिता के कथित क्षतिपूर्ति पूर्वाग्रहण से ग्रसित होकर अधिरोपित की गयी है एवं प्रत्यावेदनकर्ता को क्षतिपूर्ति अधिरोपित करने से पूर्व सुनवाई का अवसर भी प्रदान नही किया गया है।

इस सम्बंध में अवगत कराना है कि बोर्ड द्वारा दिनांक 19.11.2019 को पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित करने से पूर्व प्रश्नगत् उद्योग को क्षेत्रीय कार्यालय, कानपुर देहात के पत्रांक 1518/आर-130/2019 दिनांक 24.10.2019 द्वारा कारण बताओ नोटिस प्रेषित किया गया था, जिसमें प्रस्तावित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने का तथ्य अंकित है तथा 15 दिन में उद्योग को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु समय दिया गया था।

इससे पूर्व वर्ष-2009 में भी खानचन्दपुर रनियां, कानपुर देहात में परिसंकटमय अपशिष्ट जनित करने वाले प्रश्नगत् उद्योग सहित कुल 06 उद्योगों द्वारा अवैध रूप से भण्डारित परिसंकटमय अपशिष्ट की अनुमानित मात्रा 45,000 मी0टन के उचित निस्तारण हेतु जुर्माना अधिरोपित किये जाने का प्रस्ताव सक्षम प्राधिकारी को प्रेषित किया गया था। किन्तु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बार्ड द्वारा परिसंकटमय अपशिष्ट के रेमिडिएशन हेतु अपने पत्र सं0 B-29016/56(1)WM-I/NCEF(4)/2018/10340 दिनांक 31-03-2018 के माध्यम से प्रेषित Detailed Project (DPR) for Remediation of Chromium contaminated area at Rania, Kanpur Dehat, UP under National Clean Energy Fund (NCEF) के अनुसार प्रश्नगत क्षेत्र में अनियंत्रित रूप से भण्डारित क्रोमियम वेस्ट की मात्रा लगभग 62,225 मी0टन आंकलित की गयी है।

क्षेत्रीय कार्यालय, कानपुर देहात द्वारा रनियाँ, कानपुर देहात के अन्तर्गत ग्राम-खानचन्दपुर, उमरन, फतेहपुर रोशनाई के आर्यनगर, राजेन्द्र नगर चौराहा एवं ग्राम-चिरौरा का भूगर्भीय जल अवैध रूप से डम्प हैक्साबैलेन्ट क्रोमियम के कारण प्रदूषित हुआ पाया गया है। प्रश्नगत् उद्योग जिसकी उत्पादन क्षमता 3.0 मी0टन प्रतिदिन थी, के द्वारा उत्पादन अवधि के दौरान उद्योग से जनित हेक्सावेलेन्ट क्रोमियम युक्त परिसंकटमय अपशिष्ट को असुरक्षित ढंग से प्रश्नगत क्षेत्र में भण्डारित/डम्प किया गया। अवैध रूप से भण्डारित कुल परिसंकटमय अपशिष्ट 62,225 मी0टन में आपके उद्योग की उत्पादन क्षमता के अनुसार 14.28 प्रतिशत योगदान है।

प्रश्नगत् उद्योग की ओर से प्राप्त प्रत्यावेदन दिनांक 10.02.2020 में प्रत्यावेदनकर्ता द्वारा स्वयं यह स्वीकार्य किया गया है कि उनके द्वारा उक्त क्षेत्र में क्रोम कन्टेमिनेटेड वेस्ट जनित करने वाला उद्योग स्थापित व संचालित किया गया था एवं उक्त प्रत्यावेदन में इस तथ्य को स्पष्ट नहीं किया गया है कि उनके द्वारा जनित परिसंकटमय अपशिष्ट का निस्तारण किस प्रकार तथा कहां पर किया गया है तथा उक्त क्षेत्र में अवैध रूप से परिसंकटमय अपशिष्ट का निस्तारण नहीं किया गया है। खानचन्दपुर, रनियाँ क्षेत्र में कुल 06 क्रोम कन्टेमिनेटेड वेस्ट जनित करने वाले उद्योग स्थापित होना एवं उक्त क्षेत्र में अवैध रूप से परिसंकटमय अपशिष्ट भण्डारित होना विवाद रहित है जिसका आंकलन केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा तैयार करायी गयी डी0पी0आर0 में स्पष्ट रूप से किया गया है।

उद्योग द्वारा अपने प्रत्यावेदन के प्रस्तर 17 में वर्ष-2009 में भी अवैध परिसंकटमय अपशिष्ट हेतु जुर्माना अधिरोपित किये जाने का प्रस्ताव दिनांक 01.04.2009 का कथन किया गया है। उद्योग द्वारा अपने प्रत्यावेदन के प्रस्तर-17 में वर्ष – 2009 में भण्डारित क्रोमियम वेस्ट की अनुमानित मात्रा 45,000 मी0टन के आधार पर जुर्माना अधिरोपित करने का प्रस्ताव सूचित है जबकि वास्तव में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा परामर्शी के माध्यम से तैयार कराई गयी डी0पी0आर0 में उक्त भण्डारित क्रोमियम वेस्ट की मात्रा 62,225 मी0टन आंकलित है।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा ओ0ए0 सं0 200/2014 एम0सी0 मेहता बनाम भारत संघ में दिनांक 07.08.2019 को आदेश पारित किया गया कि ".....VIII) Other directions including displaying water quality data in public domain and at prominent places, development of bio-diversity parks, prohibition of river bed mining, remediation of chromium dumpsites in Uttar Pradesh, collection of compensation from violators and involvement of society including religious, charitable, social and educational institutions for preventing and remedying pollution of River Ganga......"

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा उक्त आदेश के अतिरिक्त विभिन्न प्रकरणों में बोर्ड द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु निर्देश दिये गये है।

मा० न्यायमूर्ति श्री अरूण टण्डन अध्यक्ष मॉनीटरिंग कमेटी द्वारा दिनांक 08.08.2019 को ओ०ए० सं० 200/2014 में पारित आदेश के अनुपालन की समीक्षा बैठक में निम्न निर्देश दिये गये है—

"It was directed that progress of removal of chromium from dump site at Rania be reported in the next meeting. The committee directed CPCB to issue notice for levy Environmental Compensation to the industries which have caused and are causing damage to the environment."

मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ०ए० सं०–985/2019 एवं ओ०ए० सं० 986/2019 में दिनांक 27.09.2019 को पारित आदेश के अनुपालन में मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन की अध्यक्षता में सम्पन्न बैठक दिनांक 17.10.2019 को समीक्षा के दौरान यह निर्देश दिये गये "जिन उद्योगों द्वारा अपना क्रोमियम वेस्ट उमरन, प्रसिद्धपुर एवं ग्राम–खानचन्दपुर, जनपद कानपुर देहात में अवैध रूप से डम्प किया गया है, के विरूद्ध Polluter Pays Principle के आधार पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर वसूली की कार्यवाही की जाये।" जिसका उल्लेख पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र० शासन के पत्र संख्या एन०जी०टी० 335(2)/81–7–2019–44(रिट)/2016 टी०सी० दिनांक 19.10.2019 द्वारा जारी कार्यवृत्त में किया गया है।

अतः केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नई दिल्ली द्वारा परिसंकटमय एवं अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन एवं सीमापार संचलन) नियम, 2016 के प्राविधानों के उल्लंघन में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति आंकलित किये जाने के संबंध में जारी की गयी गाईडलाईन जो निम्नवत् हैं, को संज्ञान में लेते हुए मैसर्स चांदनी केमिकल्स प्रा०लि०, खानचन्द्रपुर रनियां, कानपुर देहात पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की गयी है ।

Environmental Compensation (EC) = Q x ERF x R

Where

Q is noticed or observed quanitity (in tone) of hazardous or other wastes have not been managed in compliance with various peovision of the Acts/Rules/Guidelines/Conditions of the authorisation/direction issued by CPCB/SPCB/PCC/MoEF&CC (barring procedural violation which have not causaed environmental damage) ERF = Environmental Risk Factor which is a number (as given in Table 1 below) denoting the increasing degree of risk to the environmental and human health due to the scenarios as given in the table:-

S. No.	Violation	ERF	
		For hazardous Waste	For Other Waste*
1-	When hazardous and other wastes in disposed at unauthorized place or handed over or sold to unauthorized party.	1.5	0.3
2-	When treatment has not been imparted, as required, but only partial treatment has been given (TSDF/Actual user)	1.0	0.2
3-	When product (derived from hazardous or other waste) is not confirming to prescribed specification or is specified for restriced use but sold in open market against (in case of actual user)	1.0	0.2
4-	Wastes found stored beyond the stipulated period (refer Rule 8 of the HOWM Rules,2008)	0.1	0.05

R = Environmental Compensation factor, which may be taken as Rs. 30,000.

उपरोक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में प्रश्नगत उद्योग द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदन दिनांक 10.02.2020 के आधार पर द्वारा दिनांक 19.11.2019 को प्रश्नगत उद्योग पर अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रूपये 39,98,57,850/-- उन्तालिस करोड़ अट्ठानवे लाख सत्तावन हजार आठ सौ पचास मात्र) में परिवर्तन अथवा अपास्त किये का आधार नहीं है। अतः आपका प्रत्यावेदन दिनांक 10.02.2020 उपरोक्तानुसार निरस्तारित किया जाता है।

अतः निर्देशित किया जाता है कि-उद्योग मैसर्स चांदनी केमिकल्स प्रा0लि0, खानचन्द्रपुर रनियां, कानपुर त पर पूर्व में अधिरोपित की गयी पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रू0 39,98,57,850/-- (रू0 उन्तालिस करोड़ अट्ठानवे लाख सत्तावन हजार आठ सौ पचास मात्र) की धनराशि को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के, यूनियन ऑफ इण्डिया, विभव खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता सं0--701502010002104 0एफ0एस0 कोड--UBIN0570150 में अविलम्ब जमा करें एवं जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय र्यालय एवं बोर्ड मुख्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

कृपया नोट करें कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का भुगतान प्राप्त न होने की स्थिति में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की ली हेतु भू-राजस्व की भांति वसूली की कार्यवाही की जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व उद्योग एवं गेग के संचालन हेतु उत्तरदायी व्यक्तियों का होगा।

सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त निर्गत

क्षेत्रीय अधिकारी

तिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
2. जिलाधिकारी कानपुर देहात।
3. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त--2), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
4. विधि अधिकारी, प्रथम उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. लेखाधिकारी प्रभारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस आशय से कि क्षतिपूर्ति मद में प्राप्त धनराशि का विवरण वृत्त--2 को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

क्षेत्रीय अधिकारी

Annexure 7

क्षेत्रीय कार्यालय

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

844, फतेहपुर रोशनाई, रनियाँ,
कानपुर देहात

पत्रांक 1833/H-23/20 दिनांक 28/05/20

सेवा में,

मै0 हिल्जर्स केम प्रा0लि0,
ग्राम थिरौरा रायपुर, खानचन्दपुर रनियाँ,
कानपुर देहात।

विषयः– मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 संख्या–22/2020 हिल्जर्स हेम प्रा0लि0, बनाम उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व अन्य में पारित आदेश दिनांक 28.01.2020 के अनुपालन में मै0 हिल्जर्स हेम, द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदन दिनांक 10.02.2020 के निस्तारण के सम्बंध में।

राज्य बोर्ड द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा ओ0ए0 संख्या– 985/2019 एवं 986/2019 में पारित आदेश दिनांक 27.09.2019 के अनुपालन में संयुक्त समिति की संस्तुति के कम में उद्योग मैसर्स हिल्जर्स हेम प्रा0लि0, खानचन्दपुर रनियाँ, कानपुर देहात पर रूपये 53,34,23,812.50/– की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने का आदेश पारित किया गया, जिसे मैसर्स हिल्जर्स हेम प्रा0लि0 द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में ओ0ए0 संख्या– 22/2020 में चुनौती दी गयी। जिसमें मा0 अधिकरण द्वारा आदेश पारित किया गया कि "......Without expressing any opinion on merits, we direct that the impugned orders may be treated as a proposal with reference to which the applicants may furnish their response to the UP State PCB within two weeks. The UP State PCB may consider the objections of the applicants and pass an appropriate order within four weeks thereafter dealing with the matter on merits, in accordance with law......"

उपरोक्त आदेश के अनुपालन में प्रत्यावेदनकर्ता मैसर्स हिल्जर्स हेम प्रा0लि0 द्वारा दिनांक 10.02.2020 को प्रत्यावेदन के माध्यम से बोर्ड के पत्र/प्रस्ताव दिनांक 19.11.2019 के विरूद्ध आपत्ति प्रस्तुत की गयी। प्रत्यावेदनकर्ता का संक्षिप्त कथन है कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा ओ0ए0 संख्या–985–986/2019 में पारित आदेश दिनांक 27.09.2019 में मा0 अधिकरण द्वारा किसी विशिष्ट व्यक्ति के उत्तरदायित्व का निर्धारण नहीं किया गया है एवं प्रत्यावेदनकर्ता ओ0ए0 संख्या–985–986/2019 में पक्षकार नहीं है, जिसके कारण उसके तथ्यों से वह परिचित नहीं है। प्रस्ताव दिनांक 19.11.2019 सम्बंधित व्यक्ति के संज्ञान में लाये बिना जारी किया गया है। वर्ष 1976 से कोमियम का उचित भण्डारण न होने के कारण मा0 अधिकरण द्वारा ओ0ए0 संख्या 985–986/2019 एवं ओ0ए0 संख्या 200/2014 में विभिन्न आदेश पारित किये गये। प्रत्यावेदनकर्ता द्वारा अपना उद्योग वर्ष 1994 में स्थापित किया गया जिसका संचालन वर्ष 2005 से प्रारम्भ किया गया एवं दिनांक 07.02.2005 से बन्द कर दिया गया। प्रस्ताव दिनांक 19.11.2019 में वर्णित संयुक्त समिति की संस्तुति, नोटिस दिनांक 24.10.2019, स्टेट रिव्यू कमेटी की प्रोसीडिंग दिनांक 17.10.2019, क्षेत्रीय अधिकारी का पत्र दिनांक 22.10.2019 की प्रति प्रत्यावेदनकर्ता को प्राप्त नहीं कराया गया एवं उसे कोई भी अवसर प्रदान नहीं किया गया एवं उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा एक पक्षीय आदेश पारित किया गया है। पूर्व प्रस्ताव दिनांक 01.04.2009 द्वारा प्रत्यावेदनकर्ता उद्योग पर लगभग 45000 मी0टन कोमियम वेस्ट के आधार पर जुर्माना लगाया जाना प्रस्तावित था। उद्योग वर्ष 2005 से बन्द है, वर्ष 2019 में उक्त हैजार्डस की मात्रा 62225 एम0टी0 दर्शाया जाना स्वयं में उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के कृत की वास्तविकता को दर्शाता है। बोर्ड द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित

–2–

करने का शक्ति राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 के अन्तर्गत मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण को है। बोर्ड द्वारा बिना अधिकारिता के कथित क्षतिपूर्ति पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर अधिरोपित की गयी है एवं प्रत्यावेदनकर्ता को क्षतिपूर्ति अधिरोपित करने से पूर्व सुनवाई का अवसर भी प्रदान नहीं किया गया है।

इस सम्बंध में अवगत कराना है कि बोर्ड द्वारा दिनांक 19.11.2019 को पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित करने से पूर्व प्रश्नगत् उद्योग को क्षेत्रीय कार्यालय, कानपुर देहात के पत्रांक 1520/आर–130/2019 दिनांक 24.10.2019 द्वारा कारण बताओ नोटिस प्रेषित किया गया था, जिसमें प्रस्तावित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने का तथ्य अंकित है तथा 15 दिन में उद्योग को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु समय दिया गया था।

इससे पूर्व वर्ष–2009 में भी खानचन्दपुर रनियां, कानपुर देहात में परिसंकटमय अपशिष्ट जनित करने वाले प्रश्नगत् उद्योग सहित कुल 06 उद्योगों द्वारा अवैध रूप से भण्डारित परिसंकटमय अपशिष्ट की अनुमानित मात्रा 45,000 मी0टन के उचित निस्तारण हेतु जुर्माना अधिरोपित किये जाने का प्रस्ताव सक्षम प्राधिकारी को प्रेषित किया गया था। किन्तु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा परिसंकटमय अपशिष्ट के रेमिडिएशन हेतु अपने पत्र सं0 B-29016/56(1)WM-I/NCEF(4)/2018/10340 दिनांक 31-03-2018 के माध्यम से प्रेषित Detailed Project (DPR) for Remediation of Chromium contaminated area at Rania, Kanpur Dehat, UP under National Clean Energy Fund (NCEF) के अनुसार प्रश्नगत क्षेत्र में अनियंत्रित रूप से भण्डारित क्रोमियम वेस्ट की मात्रा लगभग 62,225 मी0टन आंकलित की गयी है।

क्षेत्रीय कार्यालय, कानपुर देहात द्वारा रनियॉं, कानपुर देहात के अन्तर्गत ग्राम–खानचन्दपुर, उमरन, फतेहपुर रोशनाई के आर्यनगर, राजेन्द्र नगर चौराहा एवं ग्राम–चिरौरा का भूगर्भीय जल अवैध रूप से डम्प हेक्सावैलेन्ट क्रोमियम के कारण प्रदूषित हुआ पाया गया है। प्रश्नगत् उद्योग जिसकी उत्पादन क्षमता 4.0 मी0टन प्रतिदिन थी, के द्वारा उत्पादन अवधि के दौरान उद्योग से जनित हेक्सावेलेन्ट क्रोमियम युक्त परिसंकटमय अपशिष्ट को असुरक्षित ढंग से प्रश्नगत क्षेत्र में भण्डारित/डम्प किया गया। अवैध रूप से भण्डारित कुल परिसंकटमय अपशिष्ट 62,225 मी0टन में आपके उद्योग की उत्पादन क्षमता के अनुसार 19.05 प्रतिशत योगदान है।

प्रश्नगत् उद्योग की ओर से प्राप्त प्रत्यावेदन दिनांक 10.02.2020 में प्रत्यावेदनकर्ता द्वारा स्वयं यह स्वीकार्य किया गया है कि उनके द्वारा उक्त क्षेत्र में कोम कन्टेमिनेटेड वेस्ट जनित करने वाला उद्योग स्थापित संचालित किया गया था एवं उक्त प्रत्यावेदन में इस तथ्य को स्पष्ट नहीं किया गया है कि उनके द्वारा जनित परिसंकटमय अपशिष्ट का निस्तारण किस प्रकार तथा कहां पर किया गया है तथा उक्त क्षेत्र में अवैध रूप से परिसंकटमय अपशिष्ट का निस्तारण नहीं किया गया है। खानचन्दपुर, रनियॉं क्षेत्र में कुल 06 कोम कन्टेमिनेटेड वेस्ट जनित करने वाले उद्योग स्थापित होना एवं उक्त क्षेत्र में अवैध रूप से परिसंकटमय अपशिष्ट भण्डारित होना विवाद रहित है जिसका आंकलन केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा तैयार करायी गयी डी0पी0आर0 में स्पष्ट रूप से किया गया है।

उद्योग द्वारा अपने प्रत्यावेदन के प्रस्तर 17 में वर्ष–2009 में भी अवैध परिसंकटमय अपशिष्ट हेतु जुर्माना अधिरोपित किये जाने का प्रस्ताव दिनांक 01.04.2009 का कथन किया गया है। उद्योग द्वारा अपने प्रत्यावेदन के प्रस्तर–17 में वर्ष – 2009 में भण्डारित क्रोमियम वेस्ट की अनुमानित मात्रा 45,000 मी0टन के आधार पर जुर्माना अधिरोपित करने का प्रस्ताव सूचित है जबकि वास्तव में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा परामर्शी के माध्यम से तैयार कराई गयी डी0पी0आर0 में उक्त भण्डारित क्रोमियम वेस्ट की मात्रा 62,225 मी0टन आंकलित है।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा ओ0ए0 सं0 200/2014 एम0सी0 मेहता बनाम भारत संघ में दिनांक .08.2019 को आदेश पारित किया गया कि "......VIII) Other directions including displaying water quality data public domain and at prominent places, development of bio-diversity parks, prohibition of river bed ning, remediation of chromium dumpsites in Uttar Pradesh, collection of compensation from violators d involvement of society including religious, charitable, social and educational institutions for preventing d remedying pollution of River Ganga......"

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा उक्त आदेश के अतिरिक्त विभिन्न प्रकरणों में बोर्ड द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु निर्देश दिये गये है।

मा0 न्यायमूर्ति श्री अरूण टण्डन अध्यक्ष मॉनीटरिंग कमेटी द्वारा दिनांक 08.08.2019 को ओ0ए0 सं0 200/2014 में पारित आदेश के अनुपालन की समीक्षा बैठक में निम्न निर्देश दिये गये है–

"It was directed that progress of removal of chromium from dump site at Rania be reported in the next meeting. The committee directed CPCB to issue notice for levy Environmental Compensation to the industries which have caused and are causing damage to the environment."

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 सं0–985/2019 एवं ओ0ए0 सं0 986/2019 में दिनांक 27.09.2019 को पारित आदेश के अनुपालन में मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में सम्पन्न बैठक दिनांक 17.10.2019 की समीक्षा के दौरान यह निर्देश दिये गये "जिन उद्योगों द्वारा अपना क्रोमियम वेस्ट रनियां, प्रसिद्धपुर एवं ग्राम–खानचन्द्रपुर, जनपद कानपुर देहात में अवैध रूप से डम्प किया गया है, के विरूद्ध Polluter Pays Principle के आधार पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर वसूली की कार्यवाही की जाये।" जिसका उल्लेख पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या एन0जी0टी0 335(2)/81–7–2019–44(रिट)/2016 टी0सी0 दिनांक 19.10.2019 द्वारा जारी कार्यवृत्त में किया गया है।

अतः केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नई दिल्ली द्वारा परिसंकटमय एवं अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन एवं सीमापार संचलन) नियम, 2016 के प्राविधानों के उल्लंघन में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति आंकलित किये जाने के संबंध में जारी की गयी गाईडलाईन जो निम्नवत् है, को संज्ञान में लेते हुए मैसर्स हिल्जर्स हेम प्रा0लि0, खानचन्द्रपुर रनियां, कानपुर देहात पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की गयी है ।

Environmental Compensation (EC) = Q x ERF x R

Where

Q is noticed or observed quanitity (in tone) of hazardous or other wastes have not been managed in compliance with various peovision of the Acts/Rules/Guidelines/Conditions of the authorisation/direction issued by CPCB/SPCB/PCC/MoEF&CC (barring procedural violation which have not causaed environmental damage) ERF = Environmental Risk Factor which is a number (as given in Table 1 below) denoting the increasing degree of risk to the environmental and human health due to the scenarios as given in the table:-

S. No.	Violation	ERF	
		For hazardous Waste	For Other Waste*
1-	When hazardous and other wastes in disposed at unauthorized place or handed over or sold to unauthorized party.	1.5	0.3
2-	When treatment has not been imparted, as required, but only partial treatment has been given (TSDF/Actual user)	1.0	0.2
3-	When product (derived from hazardous or other waste) is not confirming to prescribed specification or is specified for restriced use but sold in open market against (in case of actual user)	1.0	0.2
4-	Wastes found stored beyond the stipulated period (refer Rule 8 of the HOWM Rules.2008)	0.1	0.05

R = Environmental Compensation factor, which may be taken as Rs. 30,000.

उपरोक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में प्रश्नगत् उद्योग द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदन दिनांक 10.02.2020 के आधार पर द्वारा दिनांक 19.11.2019 को प्रश्नगत् उद्योग पर अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रूपये 53,34,23,812. /– (तिरपन करोड़ चौतिस लाख तेइस हजार आठ सौ बारह रूपये पचास पैसे मात्र) में परिवर्तन अथवा रद्द किये जाने का आधार नहीं है। अतः आपका प्रत्यावेदन दिनांक 10.02.2020 उपरोक्तानुसार निस्तारित ा जाता है।

अतः निर्देशित किया जाता है कि उद्योग मैसर्स हिल्जर्स हेम प्रा0लि0, खानचन्द्रपुर, रनियां, कानपुर देहात पूर्व में अधिरोपित की गयी पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति 53,34,23,812.50/– (तिरपन करोड़ चौतिस लाख तेइस ार आठ सौ बारह रूपये पचास पैसे मात्र) की धनराशि को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के, यूनियन बैंक ऑफ ण्डिया, विभव खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता सं0–701502010002104 आई0एफ0एस0 ड–UBIN0570150 में अविलम्ब जमा करें एवं जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय एवं बोर्ड ख्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

कृपया नोट करें कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का भुगतान प्राप्त न होने के स्थिति में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की सूली हेतु भू–राजस्व की भांति वसूली की कार्यवाही की जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व उद्योग एवं द्योग के संचालन हेतु उत्तरदायी व्यक्तियों का होगा।

सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त निर्गत

क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि:– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
2. जिलाधिकारी कानपुर देहात।
3. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
4. विधि अधिकारी, प्रथम उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. लेखाधिकारी प्रभारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस आशय से कि क्षतिपूर्ति मद में प्राप्त धनराशि का विवरण वृत्त–2 को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

क्षेत्रीय अधिकारी

क्षेत्रीय कार्यालय
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
844, फतेहपुर रोसनाई, रनियाँ,
कानपुर देहात

Annexure – 8

पत्रांक 1830/R-149/20 दिनांक 28/05/20

सेवा में,

मै0 रूकमणि केमिकल्स प्रा0लि0,
आराजी –1451–1454, विसायकपुर, अकबरपुर,
कानपुर देहात।

विषयः– मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 संख्या–20/2020 रूकमणि केमिकल्स लि0, बनाम उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व अन्य में पारित आदेश दिनांक 28.01.2020 के अनुपालन में मै0 रूकमणि केमिकल्स प्रा0लि0, द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदन दिनांक 05.02.2020 के निस्तारण के सम्बंध में।

राज्य बोर्ड द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा ओ0ए0 संख्या– 985/2019 एवं 986/2019 में पारित आदेश दिनांक 27.09.2019 के अनुपालन में संयुक्त समिति की संस्तुति के कम में उद्योग मैसर्स रूकमणि केमिकल्स प्रा0लि0, रनियाँ, कानपुर देहात पर रूपये 46,67,80,837.50/– की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने का आदेश पारित किया गया, जिसे मैसर्स रूकमणि केमिकल्स प्रा0लि0 द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में ओ0ए0 संख्या– 20/2020 में चुनौती दी गयी। जिसमें मा0 अधिकरण द्वारा आदेश पारित किया गया कि "......Without expressing any opinion on merits, we direct that the impugned orders may be treated as a proposal with reference to which the applicants may furnish their response to the UP State PCB within two weeks. The UP State PCB may consider the objections of the applicants and pass an appropriate order within four weeks thereafter dealing with the matter on merits, in accordance with law......"

उपरोक्त आदेश के अनुपालन में प्रत्यावेदनकर्ता मैसर्स रूकमणि केमिकल्स प्रा0लि0 द्वारा दिनांक 05.02.2020 को प्रत्यावेदन के माध्यम से बोर्ड के पत्र/प्रस्ताव दिनांक 19.11.2019 के विरूद्ध आपत्ति प्रस्तुत की गयी। प्रत्यावेदनकर्ता का संक्षिप्त कथन है कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा ओ0ए0 संख्या–985–986/2019 में पारित आदेश दिनांक 27.09.2019 में मा0 अधिकरण द्वारा किसी विशिष्ट व्यक्ति के उत्तरदायित्व का निर्धारण नहीं किया गया है एवं प्रत्यावेदनकर्ता ओ0ए0 संख्या–985–986/2019 में पक्षकार नहीं है, जिसके कारण उसके तथ्यों से वह परिचित नहीं है। प्रस्ताव दिनांक 19.11.2019 सम्बंधित व्यक्ति के संज्ञान में लाये बिना जारी किया गया है। वर्ष 1976 से कोमियम का उचित भण्डारण न होने के कारण मा0 अधिकरण द्वारा ओ0ए0 संख्या 985–986/2019 एवं ओ0ए0 संख्या 200/2014 में विभिन्न आदेश पारित किये गये। प्रत्यावेदनकर्ता द्वारा अपना उद्योग दिनांक 11.08.1995 में स्थापित किया गया जिसका संचालन वर्ष 09.03.1998 से प्रारम्भ किया गया एवं दिनांक 31.03.2004 से बन्द कर दिया गया। प्रस्ताव दिनांक 19.11.2019 में वर्णित संयुक्त समिति की संस्तुति, नोटिस दिनांक 24.10.2019, स्टेट रिव्यू कमेटी की प्रोसीडिंग दिनांक 17.10.2019, क्षेत्रीय अधिकारी का पत्र दिनांक 22.10.2019 की प्रति प्रत्यावेदनकर्ता को प्राप्त नहीं कराया गया एवं उसे कोई भी अवसर प्रदान नहीं किया गया एवं उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा एक पक्षीय आदेश पारित किया गया है। पूर्व प्रस्ताव दिनांक 01.04.2009 द्वारा प्रत्यावेदनकर्ता उद्योग पर लगभग 45000 मी0टन कोमियम वेस्ट के आधार पर जुर्माना लगाया जाना प्रस्तावित था। उद्योग वर्ष 2005 से बन्द है, वर्ष 2019 में उक्त हैजार्डस की मात्रा 62225 एम0टी0 दर्शाया जाना स्वयं में उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के कृत की वास्तविकता को दर्शाता है। बोर्ड द्वारा पर्यावरणीय

–2–

क्षतिपूर्ति अधिरोपित करने की शक्ति राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 के अर्न्तगत मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण को है। बोर्ड द्वारा बिना अधिकारिता के कथित क्षतिपूर्ति पूर्वाग्रहण से ग्रसित होकर अधिरोपित की गयी है एवं प्रत्यावेदनकर्ता को क्षतिपूर्ति अधिरोपित करने से पूर्व सुनवाई का अवसर भी प्रदान नही किया गया है।

इस सम्बंध में अवगत कराना है कि बोर्ड द्वारा दिनांक 19.11.2019 को पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित करने से पूर्व प्रश्नगत् उद्योग को क्षेत्रीय कार्यालय, कानपुर देहात के पत्रांक 1521/आर–130/2019 दिनांक 24.10.2019 द्वारा कारण बताओ नोटिस प्रेषित किया गया था, जिसमें प्रस्तावित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने का तथ्य अंकित है तथा 15 दिन में उद्योग को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु समय दिया गया था।

इससे पूर्व वर्ष–2009 में भी खानचन्द्पुर रनियां, कानपुर देहात में परिसंकटमय अपशिष्ट जनित करने वाले प्रश्नगत् उद्योग सहित कुल 06 उद्योगों द्वारा अवैध रूप से भण्डारित परिसंकटमय अपशिष्ट की अनुमानित मात्रा 45,000 मी0टन के उचित निस्तारण हेतु जुर्माना अधिरोपित किये जाने का प्रस्ताव सक्षम प्राधिकारी को प्रेषित किया गया था। किन्तु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बार्ड द्वारा परिसंकटमय अपशिष्ट के रेमिडिएशन हेतु अपने पत्र सं0 B-29016/56(1)WM-I/NCEF(4)/2018/10340 दिनांक 31-03-2018 के माध्यम से प्रेषित Detailed Project (DPR) for Remediation of Chromium contaminated area at Rania, Kanpur Dehat, UP under National Clean Energy Fund (NCEF) के अनुसार प्रश्नगत क्षेत्र में अनियंत्रित रूप से भण्डारित क्रोमियम वेस्ट की मात्रा लगभग 62,225 मी0टन आंकलित की गयी है।

क्षेत्रीय कार्यालय, कानपुर देहात द्वारा रनियॉ, कानपुर देहात के अन्तर्गत ग्राम–खानचन्द्पुर, उमरन, फतेहपुर रोशनाई के आर्यनगर, राजेन्द्र नगर चौराहा एवं ग्राम–चिरौरा का भूगर्भीय जल अवैध रूप से डम्प हैक्सावैलेन्ट क्रोमियम के कारण प्रदूषित हुआ पाया गया है। प्रश्नगत् उद्योग जिसकी उत्पादन क्षमता 3.5 मी0टन प्रतिदिन थी, के द्वारा उत्पादन अवधि के दौरान उद्योग से जनित हेक्सावेलेन्ट क्रोमियम युक्त परिसंकटमय अपशिष्ट को असुरक्षित ढंग से प्रश्नगत क्षेत्र में भण्डारित/डम्प किया गया। अवैध रूप से भण्डारित कुल परिसंकटमय अपशिष्ट 62,225 मी0टन में आपके उद्योग की उत्पादन क्षमता के अनुसार 16.67 प्रतिशत योगदान है।

प्रश्नगत् उद्योग की ओर से प्राप्त प्रत्यावेदन दिनांक 10.02.2020 में प्रत्यावेदनकर्ता द्वारा स्वयं यह स्वीकार्य किया गया है कि उनके द्वारा उक्त क्षेत्र में कोम कन्टेमिनेटेड वेस्ट जनित करने वाला उद्योग स्थापित व संचालित किया गया था एवं उक्त प्रत्यावेदन में इस तथ्य को स्पष्ट नहीं किया गया है कि उनके द्वारा जनित परिसंकटमय अपशिष्ट का निस्तारण किस प्रकार तथा कहां पर किया गया है तथा उक्त क्षेत्र में अवैध रूप से परिसंकटमय अपशिष्ट का निस्तारण नहीं किया गया है। खानचन्द्पुर, रनियॉ क्षेत्र में कुल 06 कोम कन्टेमिनेटेड वेस्ट जनित करने वाले उद्योग स्थापित होना एवं उक्त क्षेत्र में अवैध रूप से परिसंकटमय अपशिष्ट भण्डारित होना विवाद रहित है जिसका आंकलन केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा तैयार करायी गयी डी0पी0आर0 में स्पष्ट रूप से किया गया है।

उद्योग द्वारा अपने प्रत्यावेदन के प्रस्तर 17 में वर्ष–2009 में भी अवैध परिसंकटमय अपशिष्ट हेतु जुर्माना अधिरोपित किये जाने का प्रस्ताव दिनांक 01.04.2009 का कथन किया गया है। उद्योग द्वारा अपने प्रत्यावेदन के प्रस्तर–17 में वर्ष – 2009 में भण्डारित क्रोमियम वेस्ट की अनुमानित मात्रा 45,000 मी0टन के आधार पर जुर्माना अधिरोपित करने का प्रस्ताव सूचित है जबकि वास्तव में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा परामर्शी के माध्यम से तैयार कराई गयी डी0पी0आर0 में उक्त भण्डारित क्रोमियम वेस्ट की मात्रा 62,225 मी0टन आंकलित है।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा ओ0ए0 सं0 200/2014 एम0सी0 मेहता बनाम भारत संघ में दिनांक 07.08.2019 को आदेश पारित किया गया कि "......viii) Other directions including displaying water quality data in public domain, and at prominent places, development of bio-diversity parks, prohibition of river bed mining, remediation of chromium dumpsites in Uttar Pradesh, collection of compensation from violators and involvement of society including religious, charitable, social and educational institutions for preventing and remedying pollution of River Ganga......"

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा उक्त आदेश के अतिरिक्त विभिन्न प्रकरणों में बोर्ड द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु निर्देश दिये गये है।

मा0 न्यायमूर्ति श्री अरुण टण्डन अध्यक्ष मॉनीटरिंग कमेटी द्वारा दिनांक 08.08.2019 को ओ0ए0 सं0 200/2014 में पारित आदेश के अनुपालन की समीक्षा बैठक में निम्न निर्देश दिये गये है—

"It was directed that progress of removal of chromium from dump site at Rania be reported in the next meeting. The committee directed CPCB to issue notice for levy Environmental Compensation to the industries which have caused and are causing damage to the environment."

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 सं0–985/2019 एवं ओ0ए0 सं0 986/2019 में दिनांक 27.09.2019 को पारित आदेश के अनुपालन में मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में सम्पन्न बैठक दिनांक 17.10.2019 को समीक्षा के दौरान यह निर्देश दिये गये "जिन उद्योगों द्वारा अपना क्रोमियम वेस्ट उमरन, प्रसिद्धपुर एवं ग्राम–खानचन्दपुर, जनपद कानपुर देहात में अवैध रूप से डम्प किया गया है, के विरूद्ध Polluter Pays Principle के आधार पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर वसूली की कार्यवाही की जाये।" जिसका उल्लेख पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या एन0जी0टी0 335(2)/81–7–2019–44(रिट)/2016 टी0सी0 दिनांक 19.10.2019 द्वारा जारी कार्यवृत्त में किया गया है।

अतः केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नई दिल्ली द्वारा परिसंकटमय एवं अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन एवं सीमापार संचलन) नियम, 2016 के प्राविधानों के उल्लंघन में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति आंकलित किये जाने के संबंध में जारी की गयी गाईडलाईन जो निम्नवत् है, को संज्ञान में लेते हुए मैसर्स रूकमणि केमिकल्स प्रा0लि0, रनियां, कानपुर देहात पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की गयी है।

Environmental Compensation (EC) = Q x ERF x R

Where

Q is noticed or observed quanitity (in tone) of hazardous or other wastes have not been managed in compliance with various peovision of the Acts/Rules/Guidelines/Conditions of the authorisation/direction issued by CPCB/SPCB/PCC/MoEF&CC (barring procedural violation which have not causaed environmental damage) ERF = Environmental Risk Factor which is a number (as given in Table 1 below) denoting the increasing degree of risk to the environmental and human health due to the scenarios as given in the table:-

S. No.	Violation	ERF	
		For hazardous Waste	For Other Waste*
1-	When hazardous and other wastes in disposed at unauthorized place or handed over or sold to unauthorized party.	1.5	0.3
2-	When treatment has not been imparted, as required, but only partial treatment has been given (TSDF/Actual user)	1.0	0.2
3-	When product (derived from hazardous or other waste) is not confirming to prescribed specification or is specified for restriced use but sold in open market against (in case of actual user)	1.0	0.2
4-	Wastes found stored beyond the stipulated period (refer Rule 8 of the HOWM Rules.2008)	0.1	0.05

R = Environmental Compensation factor, which may be taken as Rs. 30,000.

उपरोक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में प्रश्नगत् उद्योग द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदन दिनांक 05.02.2020 के आधार पर ई द्वारा दिनांक 19.11.2019 को प्रश्नगत् उद्योग पर आधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रूपये रूपये ,67,80,837.50/– (छियालिस करोड़, सढसठ लाख अस्सी हजार आठ सौ सैतीस रूपये पचास पैसे मात्र)में रेवर्तन अथवा अपास्त किये जाने का आधार नहीं है। अतः आपका प्रत्यावेदन दिनांक 10.02.2020 रोक्तानुसार निस्तारित किया जाता है।

अतः निर्देशित किया जाता है कि उद्योग मैसर्स रुकमणि केमिकल्स प्रा0लि0 रनियां, कानपुर देहात पर ि में अधिरोपित की गयी पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रूपये 46,67,80,837.50/– (छियालिस करोड़, सढसठ लाख स्सी हजार आठ सौ सैतीस रूपये पचास पैसे मात्र) की धनराशि को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के, यूनियन क ऑफ इण्डिया, विभव खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता सं0–701502010002104 ई0एफ0एस0 कोड–UBIN0570150 में अविलम्ब जमा करें एवं जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय र्यालय एवं बोर्ड मुख्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

कृपया नोट करें कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का भुगतान प्राप्त न होने के स्थिति में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की सूली हेतु भू–राजस्व की भांति वसूली की कार्यवाही की जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व उद्योग एवं द्योग के संचालन हेतु उत्तरदायी व्यक्तियों का होगा।

सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त निर्गत

क्षेत्रीय अधिकारी

तिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
2. जिलाधिकारी कानपुर देहात।
3. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
4. विधि अधिकारी, प्रथम उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. लेखाधिकारी प्रभारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस आशय से कि क्षतिपूर्ति मद में प्राप्त धनराशि का विवरण वृत्त–2 को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

क्षेत्रीय अधिकारी